₹ 10
www.kewalsachtimes.com
अगस्त 2025

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

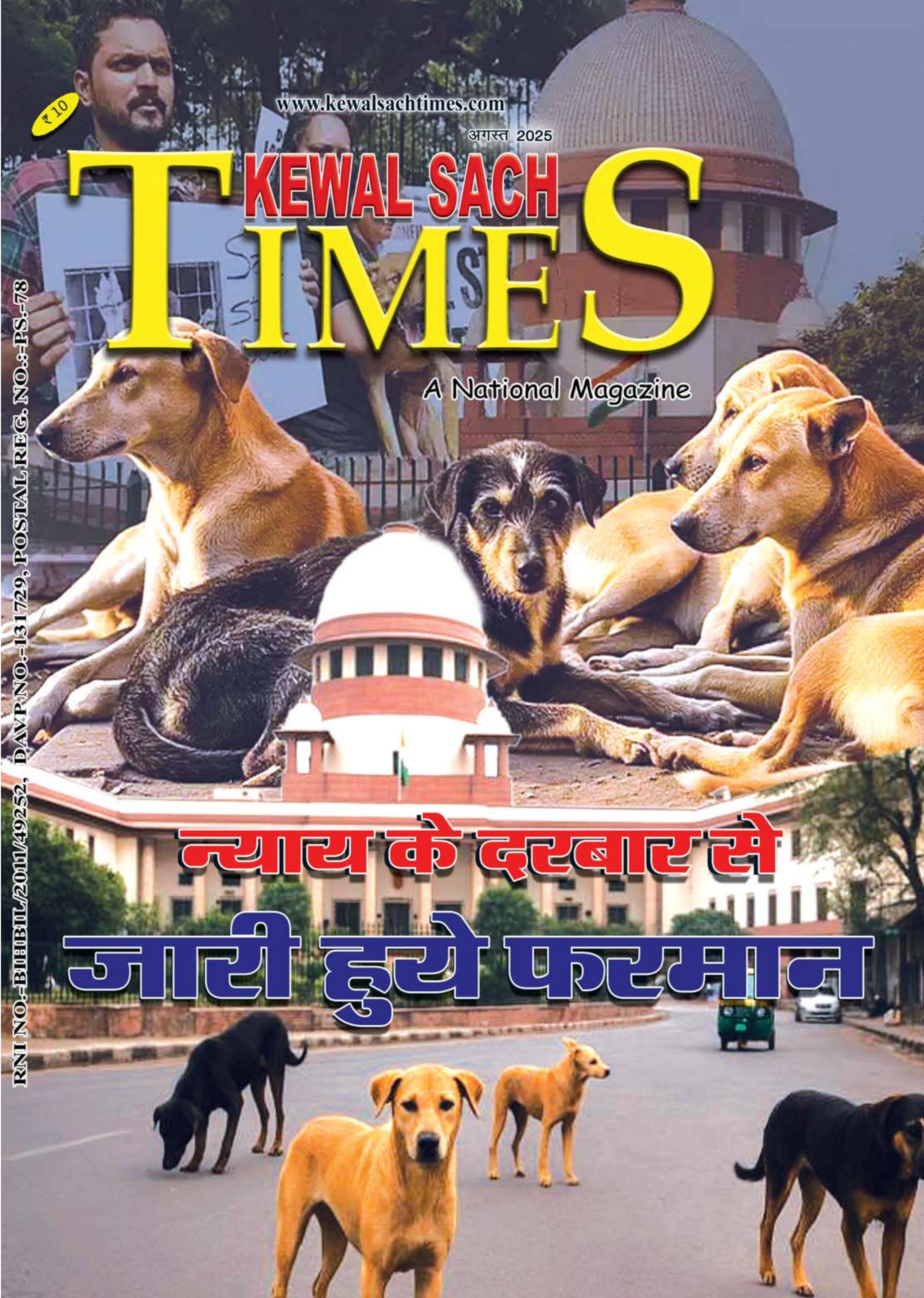

न्याय के दरबार से जारी हुये फरमान

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो
Mob.: 9431073769, 9308815605

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay paytm

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

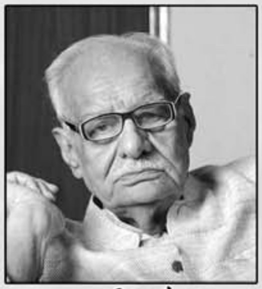
कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

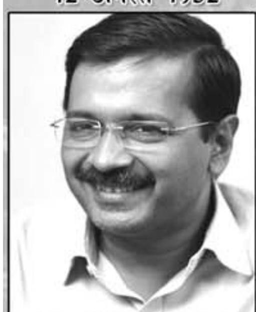
अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

बिहार एवं झारखंड सहित देश के मठ एवं मंदिरों की स्थिति बद से बद्दत्तर होती जा रही है। 1947 में देश बंटवारे के बाद से ही भारत की उपयोगी एवं संस्कारवान संस्कृति गुरूकुल को आजाद भारत की सरकार ने धीरे - धीरे करके नष्ट कर दिया और मठ मंदिरों की पुजारी एवं महंत की आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को राजनीति का केन्द्र बनाकर उसका अस्तित्व को कटघरे में डाल दिया। मठ - मंदिरों की लाचार स्थिति के लिए सरकार की धार्मिक न्यास पर्षद जिम्मेवार है और मठ - मंदिरों की महंथ एवं पुजारी भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत का गौरव भारतीय सनातन संसकृति के वहृद आयाम से है लेकिन लालच एवं मठाधीश बनने के चक्कर में मठ - मंदिरों की स्थिति जर्जर होती चली गयी क्योंकि इसकी संपत्ति पर सबकी गिद्ध दृष्टि की वजह से उसके जमीन पर राजनेताओं, लोकल भू-माफिया का कब्जा होता चला गया तो कई जगहों पर स्वयं महंथ एवं पुजारी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन बेच दिया।

अधिकांशतः मठ - मंदिरों की संपत्ति पर अतिक्रमण है और कई र्मांदिरों के दुकान पर भी जबरन कब्जा है और किरायेदार भी मंदिर को किराया नहीं देते जिसकी वजह से मंदिरों का संचालन सही रूप से नहीं हो रहा है। बिहार प्रदेश लोकतंत्र की जननी है और बिहार की संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मानता है। धर्म आधरित सनातन संस्कृति और उसके दूरगामी परिणाम की वजह से आज भी विश्व का सबसे अधिक संयुक्त परिवार इसी प्रदेश में वास करता है और धर्म को प्राथमिकता से स्वीकार करता है।

खतरे में है

मठ मंदिर

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

18 सितम्बर 2025 को बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए नव नियुक्त बिहार प्रदेश धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो० रणवीर नंदन ने बड़ी योजना बनाकर मठ एवं मंदिरों के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी के साथ साथ कई धर्मों की जन्म स्थली भी है। बिहार की शिक्षा पद्धति का लोहा पूरा विश्व स्वीकार करता था भले ही गुलाम भारत में बनी मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारे गौरवशाली इतिहास को ध्वस्त कर दिया। आज की वर्त्तमान युवा पीढ़ी सोसल मीडिया के अल्प ज्ञान के सहारे अपना भविष्य संवारना चाहती है जबकि 21वीं सदी के संचारक्रांति युग में हम मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। देश में लाखों मठ – मंदिर देश की अर्थ-व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। मठ एवं मंदिरों के पास चल – अचल संपत्ति माफियाओं एवं राजनेताओं की वजह से धार्मिक कार्य के बजाय व्यक्तिगत बनता जा रहा है। कूटनीति एवं राजनीतिक लाभ के लिए पहले मठ एवं मंदिरों से पहले गुरूकुल को गायब किया गया ताकि धीरे – धीरे लोग धर्म के प्रति वह समर्पण का भाव नहीं रखें और आजादी के 80 साल में हुआ भी यही। मठ – मंदिरों से अखाड़ा को हटाया गया जबकि अखाड़ा हमें आंतरिक शक्ति के साथ-साथ बाहरी उपद्रव करने वाले लोगों से मुकाबला किया जा सके। सत्ता के अहंकार में मठ एवं र्मांदिरों के महथ एवं पुजारियों को किसी न किसी केश में फंसाकर उनको उनके पद से विमुक्त करके वैसे लोगों को कमिटि का अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जाने लगा जिनका उद्देश्य सनातन संस्कृति को विकसित करने के बजाय कैसे मठ – मंदिरों को ध्वस्त किया जाये उसका जुगाड़ लगता गया। कई शहरों में कई सफेदपोश लोगों का आलीशान मकान मठ एवं मंदिरों की संपत्ति पर बना हुआ है। मठ एवं मंदिरों के कई महांथ एवं पुजारियों की हत्या भी हुई और जिसने भी हिम्मत जुटाई उनको राजनीतिक शिकार बनाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया। मठ एवं मंदिरों के संरक्षण के लिए किसी भी सरकार ने वोट की वजह से अधिक पर्षद को उपयोगी नहीं बनाया। कई मठ एवं मंदिर के महंथ एवं पुजारी भी गलत कार्यो में लिप्त पाये गये हैं जिसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। विश्व के सभी देशों में धर्म का अपना महत्व है और भारत में धर्म सर्वोपरि है यह पूरे विश्व को ज्ञात है। बढ़ते बलात्कार, यौन शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या के साथ साथ मानसिक अवसाद का देश झेल रहा भारत में धर्म की जब-जब हानि हुई है यह पीड़ा झेलने पड़ी है। आज माँ-बाप को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, पत्नी को पति पर भरोसा नहीं है, भाई को बहन पर भरोसा नहीं है जैसा वातावरण का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि भगवान के प्रति आस्था बढ़ते के मोबाइल ने वह समय छीन लिया है। पर्व-त्योहारों का समय अब सिर्फ आस्था के बजाय दिखावा बनकर रह गया है। धर्म का स्थान इतना महत्वपूर्ण है की जहां फैसला सुनाया जाता है वहां गवाह से धर्म ग्रंथों की कसमें खिलाई जाती है क्योंकि न्यायालय को भी ऐसा लगता है की धर्मग्रंथ पर हांथ रखकर कोई झूठ नहीं बोलेगा। सरकार के खजाने में मठ एवं मंदिरों का कितना बड़ा योगदान है इसका आंकलन किया जा सकता है। देश के सभी बहुचर्चित मंदिरों से प्राप्त आय देश के विभिन्न राज्यों में अस्पताल संचालित कर रहा है और आमलोगों को सहुलियत दे रहा है। धर्म में आस्था की पराकाष्ठा कितना है यह श्रीराम मंदिर के निर्माण में मिले सहयोग से लगाया जा सकता है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी मठ एवं मंदिर का अस्तित्व खतरे में जाता दिख रहा है क्योंकि किसी भी राज्य में पर्षद को इतनी शक्ति नहीं मिलती है जिसकी वजह से वह ठोस निर्णय ले सके। मंठ एवं मंदिरों के गौरवशाली इतिहास को सरकारी योजना से नहीं जोड़ा गया जिसकी वजह से कुछेक मठ मंदिरों को छोड़ दिया जाये तो वह विलुप्तता के कगार पर है। पर्षद में निबंधित मठ एवं मंदिर से 4 प्रतिशत की राशि वसूली जाती है लेकिन उनको संरक्षण के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही हांथ लगता है। चुनाव के वक्त पक्ष एवं विपक्ष अपने वोटर के हिसबस से सनातन संस्कृति पर चर्चा करता है ताकि उनका वोटर उनका कैडर बने रहें। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सनातन संस्कृति के अनछुए पहलुओं पर फोकस करते हुए एक बार फिर से धर्म के प्रति आस्था जगाने में कामयाब हुए हैं और धर्म के आधार पर हीं उनका 50 प्रतिशत वोटर उनके साथ जुड़ा है वहीं विपक्ष सनातन को वायरस की उपाधि से नवाजता है। भारत को विश्वगुरू बनना है तो उसको पहले अपने देश के मठ-मंदिरों को बचाना होगा ताकि इससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खजाने के साथ-साथ आमलोगों को रोजगार मिलेगा और उनके द्वारा निर्मित अस्पताल से बीमार लोगों को स्वस्थ बनाया जा सकेगा। धर्म के बढ़ते प्रभाव की वजह से एकबार फिर से गौ-गंगा-गायत्री को बचाने की मुहिम चल रही है और कई कथावाचक अस्पताल, गौशाला, गुरूकुल और अन्नपूर्णा केन्द्र संचालित करके सनातन संस्कृति के मूल्यों को जिवंत करने की मुहिम चला रहे हैं। यही कारण है फिल्मों कलाकारों से कहीं ज्यादा कार्यक्रम कथा के हो रहे हैं। मठ एवं मंदिरों को संरक्षित होने से भारत की संस्कृति फिर विश्व का ध्यान अपनी ओर खिंचने में कामयसब होती दिख रही है।

KEWAL SACH
TIMES
A National Magazine
वर्षः- 15, अंकः- 170 माहः- अगस्त 2025 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor
Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)
Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)
Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor
Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor
Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor
Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor
Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief
Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau
Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer
Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड
आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
आवश्यकता है

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

हरियाणा हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

हिमाचल हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी
भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,

मकान संख्याः- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

जुलाई 2025

वोटबंदी का बबाल

मिश्रा जी,

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है और सरकार बनाने के लिए जुगाड लगाने में लगा हुआ है. निर्वाचन आयोग ने SIR का मतलब समझाते हुए वोटर का विश्वास जितने का दावा कर रहा है वहीं विपक्ष वोट चोरी का आरोप सत्तापक्ष पर लगा रहा है और निर्वाचन आयोग मोदी के इशारे काम कर रहा है का भी आरोप लगाया जा रहा. जुलाई 2025 अंक में अमित कुमार ने बिहार में वोटबंदी का बबाल विषय पर उन अनछुए पहलुओं पर सटीक समीक्षात्मक खबर पाठकों के बीच रखा है. महागठबंधन इस मामले को लेकर पूरे बिहार में संघर्ष कर रहा है जैसी जानकारी दे रहा है.

● **मनोज वर्मा, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

अंतरिक्ष

संपादक महोदय,

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और इसके सभी अंक को पढ़ता हूं क्योंकि इसमें प्रकाशित खबर बिना मिलावट के प्रकाशित किया जाता है. जुलाई 2025 में अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी गगनयान की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा कि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है. शुभांशु शुक्ला की वापसी से उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है तथा देश को विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है जिससे देश की जनता को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. विज्ञान और सेना की नित्य नए प्रयोग से भारत मजबूती से विश्व भर में प्रतिभा का लोहा मनवाने में कामयाब है.

● **कुमुद रंजन पाठक, रसुलपुर चौक, सिवान**

छात्रा की हत्या

संपादक महोदय,

आजकल बलात्कार की घटना काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. फांसी की सजा होने की बाद भी पुलिस की लापरवाही एवं न्यायालय में लेट लतीफी की वजह से बलात्कारी तब तक दूसरे का शिकार भी कर लेता है. जुलाई 2025 अंक में भाजपा के सिस्टम ने की छात्रा की हत्या की खबर ने पार्टी की कुछ नीति पर सटीक कटाक्ष किया है जो बिल्कुल सही लगता है. एक शिक्षक के द्वारा यौन उत्पीड़न के कारण छात्रा की जान एम्स में चली गई और शिक्षक पर ठोस कार्रवाई नहीं होना बहुत दुखद है. सत्ता के लिए बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी संवेदनशील नहीं होना सरकार की साख पर सवाल खड़ा करता है. सटीक एवं ज्वलंत खबर है.

● **ओमी पाण्डेय, खर्राट मोड़, वारिसलीगंज,**

साफ करो

संपादक महोदय,

बिहार के चुनाव के समय में लालू यादव के बयान को भाजपा एवं जदयू भूरा बाल साफ करो कि बात को याद करता है, जुलाई 2025 अंक में पत्रकार ने अपनी खबर तीन दशक बाद से गूंज रहा है भूरा बाल साफ करो के नारे में पुरानी बात को याद कराकर पुराने जख्म को ताजा करता दिख रहा है. बिहार के चुनाव में जिस प्रकार पक्ष एवं विपक्ष शब्दों की मर्यादा को खंडित कर रहे हैं उससे एक दूसरे के संस्कार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. इस अंक की सभी खबरें पठनीय एवं संग्रहणीय है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को भी जवाब दिया जा सके. पत्रकारिता के गिरते दौर में भी केवल सच टाइम्स पाठको का पूरा ख्याल रखकर लिखता है.

● **कौशल राय, रमना रोड़, आरा, भोजपुर**

काला खेल

मिश्रा जी,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका के जुलाई 2025 अंक में पत्रकार अमित कुमार ने देश के भीतर चल रहे धार्मिक उन्माद पर विस्तार से खबर पाठक एवं सरकार के बीच रखा है. **धर्मांतरण का काला खेल टूटा छांगुर का तिलिस्म** खबर में छांगुर बाबा का काली करतूत को उदाहरण के साथ - साथ उसके गंदे हरकत और हिन्दुओं को दागदार बनाने के लिए किस हद तक गिर चुका है कि पूरी दास्तान को निर्भीक होकर अपने विचार को लिखा है. आपकी पत्रिका अपनी कलम को बाजार में नीलाम करने के लिए नहीं चलती जबकि आज खबर भी पार्टी को ध्यान में रख कर लिखा जाता है. यह दमदार खबर है इस अंक का।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

निमिषा प्रिया

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका को वेबसाइट पर पढ़ता हूं. जुलाई 2025 अंक में एक से बढ़कर एक खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है. निमिषा प्रिया की बच पाएगी जान? खबर को पूरे विस्तार के साथ लिखा गया है जिसमें यमन के पदाधिकारियों ने 16 जुलाई तक का मृत्युदंड की तिथि को टाल दी है. केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया पर **तलाल अब्दो महदी** की जान लेने का आरोप है जबकि निमिषा का बयान है कि महदी उसके साथ गलत करता था. मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, गलत विवाह प्रमाण पत्र बना लिया था शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता था और पासपोर्ट जप्त कर लिया था. चिंताजनक खबर है. कलियुग अपना प्रभाव छोड़ रहा है.

● **राकेश कुमार सिंह, खेलगांव मोड़, राँची**

अन्दर के पन्नों में

17

33

Madhya Pradesh Horror...38

40

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 20001817444

BANK :- State Bank Of India

IFSC Code :- SBIN0003564

PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8
80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

न्याय के दरबार से जारी हुये फरमान

● **संजय सिन्हा**

दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को 'अत्यधिक गंभीर' बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शहर की सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में अधिकारियों के काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5000 आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाए जाने चाहिए और कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। पीठ ने कहा कि आवारा

कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए। पीठ ने कहा कि हम व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही, उसने यह भी कहा कि शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों से बचाना होगा, जिनके काटने से रेबीज होता है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की तुरंत सूचना दी जा सके। ज्ञात हो कि शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।

गौरतलब है कि खुद को सनातनियों की सबसे बड़ी पैरोकार मानने वाली सरकार पहले ही अपनी गायों को स्लॉटर हाउस में कटने से नहीं बचा पा रही है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र हाईकोर्ट कबूतरखानों पर तिरपाल डालकर कबूतरों का दाना-पानी बंद कर दे और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सड़कों से कुत्तों का सफाया करने के फतवे जारी करे तो ऐसे अमानवीय समय में जानवरों के लिए संवेदनशीलता बरतने की उम्मीद शायद किसी से नहीं की जाना चाहिए। क्योंकि न्याय के इन दोनों ही दरबारों से ये असंवेदनशील फैसले देने वाले जाहिर है खासे-पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि पढ़े-लिखे सभ्य

समाज की संवदेनशीलता तो इस हद तक भी नापी जानी चाहिए कि वो किसी जानवर को 'आवारा' किस आधार पर कह देते हैं? बहरहाल, बावजूद अपने आसपास तमाम अराजकताओं के एक मनुष्य में इतनी चेतना तो बची रह जाना चाहिए कि जब किसी कोने से बेजुबानों को दाना-पानी नहीं देने और उन्हें रहवासी इलाकों से निर्वासित किए जाने की क्रूरता बरती जा रही हो तो कम से कम उन लोगों को तो खड़े हो ही जाना चाहिए जिनके पास जबानें हैं, जो बोल सकते हैं। याद दिला दें कि हाल ही में मुंबई में कबूतरों को खतरा मानते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें दाना डालने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया है, जबकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को 'गंभीर समस्या' मानते हुए उन्हें राजधानी की सड़कों से साफ करने का निर्देश दिया है। इस बात को अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों के खिलाफ यह सारे फरमान उस देश में जारी हो रहे हैं, जहां घरों में सबसे पहली रोटी गाय और कुत्तों के लिए निकाली जाती है। जबकि पक्षियों को दाना डालना एक पवित्र और पुण्य कर्म माना जाता रहा है।

बताते चले कि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की उम्मीद की थोड़ी सी लौ जलाने का काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया। राहुल ने

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान आत्माएं कोई 'समस्या' नहीं हैं, जिन्हें मिटाया जा सके। इनके लिए अन्य विकल्पों पर सोचा जाना चाहिए। बता दें कि स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या और काटने की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्तों के अंदर दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है। उन्हें शेल्टर हाउस भेजने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नेता, पशु प्रेमी और आम जनता सभी नाराज हैं। अब इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा है कि यह कदम ठीक नहीं है। हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कुत्तों को शहर से हटाने के फैसले को पीछे ले जाने वाला और अमानवीय कदम बताया। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आवारा कुत्तों के प्रति मानवीय और वैज्ञानिक नीति के खिलाफ बताया है। मेनका गांधी ने दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की लागत और कठिनाइयों पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गुस्से में और व्यवहारिकता को न देखते हुए पारित किया जाना बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले

राहुल गांधी

मेनका गांधी

जॉन अब्राहम

पर कहा है कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान आत्माएं कोई 'समस्या' नहीं हैं, जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल के जरिये सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पर पूरी तरह पाबंदी क्रूर-अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे एक साथ-साथ चलें। वही मुंबई में जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय कबूतरों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अभिनेता जॉन इब्राहिम बोले हैं। मेनका गांधी तो जाहिर है बोलेगीं ही। मेनका गांधी ने कहा है कि निर्देश देने से पहले उन लोगों से पूछा जाए जो जानवरों को जानते-समझते हैं, हम बताएंगे कि कुत्ते क्यों काटते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। वही जॉन अब्राहम ने कहा कि कुत्ते आवारा नहीं हैं, बल्कि समुदाय का हिस्सा हैं। लोग उन्हें प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस अपने फैसले की समीक्षा करेंगे। क्योंकि कुत्ते आवारा नहीं, हमारी सोसायटी का हिस्सा हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों को हटाने का यह निर्देश पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 और इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसलों के बिल्कुल उलटा है। एबीसी नियम के अनुसार कुत्तों को किसी शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। इसके बजाय उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ देते हैं जहां वे रहते हैं। उन्हें रिलोकेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कुत्तों की बेदखली का ही विकल्प क्यों सूझा। जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में कुत्तों

का संरक्षण ठीक तरह से किया जा रहा है। हां, यह सच है कि कुत्तों के काटने और हमले किए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन इसके पीछे कई तरह की वजहें हैं, उन्हें खाना नहीं मिलना, उनके प्रति क्रूरता दिखाना और सफाई की वजह से सड़कों पर खाने के लिए वेस्ट उपलब्ध्ध नहीं होना आदि। इसके लिए विकल्प खोजे जाने चाहिए। लेकिन ज्यादातर शहरों के स्थानीय प्रशासन कुत्तों के संरक्षण में विफल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां कुत्तों से ज्यादा आवारा और खतरनाक बांग्लादेशी घुसपेठिये हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार चिन्हित तक नहीं कर पाई है। देशभर के राज्यों की बात करें तो बता दें कि कुत्तों की नसबंदी कर उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए नगर निगमों के पास एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना है, लेकिन वह कागजों में सिमट गया है। कई राज्यों में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यह काम एनजीओ पर छोड़ दिए गए हैं, जिनमें भयावह भ्रष्टाचार है। एबीसी रूल्स, 2023 में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि उसके नियम सोसायटियों पर अत्यधिक बोझ डालते हैं। इन नियमों में लोगों को कुत्तों को सोसायटी परिसर में ही खिलाने और उनके लिए जगह तय करने को कहा गया है। इससे अक्सर डॉग लवर और कुत्तों को नापसंद करने वाले लोगों में विवाद होते हैं। मेनका गांधी ने कहा, "दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1 हजार या 2 हजार शेल्टर होम बनाने होंगे। क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले तो उसके लिए जमीन तलाशनी होगी। इस पर 4-5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा। क्योंकि हर सेंटर में केयरटेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले और चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी। मेनका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गुस्से में लिया गया फैसला है। उन्होंने इस फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि एक महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने इसी मुद्दे पर एक 'संतुलित फैसला' सुनाया था। अब, एक महीने बाद, दो सदस्यीय बेंच ने एक और फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि 'सबको पकड़ो'। कौन सा फैसला सही है? जाहिर है, पहला वाला, क्योंकि वह एक स्थापित फैसला है।

बहरहाल, सवाल यह है कि इंसान किसी भी जानवर के प्रति इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, खासकर कुत्तों के प्रति जो हमेशा से हमारे धर्म और हमारी परंपराओं में शामिल रहे हैं और शुरू से इंसानों के कंपेनियन रहे हैं। याद रखना होगा कि ये देश जानवरों को ही पूजता रहा है। गणेशजी के रूप में हाथी और हनुमानजी के रूप में हम बंदरों को पूजते रहे हैं। गाय और कत्ते इस देश की सबसे बड़ी आबादी के धर्म का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इन्हें हमारी सोसायटी से बेदखल करने की बजाए इन्हें फिर से अपना दोस्त बनाना है, जो हमेशा से दोस्त रहे ही हैं और हमारे ही भरोसे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबाकि भारत का पड़ोसी देश भूटान 2023 में 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी (स्टरलाइजेशन) करने वाला देश बन गया। भूटान ने ऐसा करने के लिए 2021 में नेशनवाइड एक्सेलेरेटड डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट और रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरु किया था। हालांकि नसबंदी और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करीब 14 साल तक अलग-अलग फेज में चला था। 2021 से लेकर 2023 कर करीब 1.5 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी हो गई। इस प्रोग्राम का बजट करीब 29 करोड़ रूपये था। वही मोरक्को ने आवारा कुत्तों संभालने के लिए मानवीय तरीका अपनाया। देश में TNVR प्रोग्राम शुरू किया गया, यानी ट्रैप-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिटर्न। इसमें कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंधी करना, रेबीज की वैक्सीन लगाना, टैग लगाना और फिर उन्हें उनके पुराने इलाकों में छोड़ना शामिल है। पिछले पांच साल में सरकार ने इस प्रोग्राम पर करीब 23 मिलियन डॉलर (लगभग 190 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं। बात नीदरलैंड की करे तो आज यह यूरोप का पहला देश है, जहां एक भी आवारा कुत्ता नहीं है, जबकि 19वीं-20वीं सदी की शुरुआत में वहां उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में सरकार ने उन्हें मारना, पट्टामजल के नियम और डॉग टैक्स जैसे कदम उठाए, लेकिन टैक्स से बचने के लिए लोग और कुत्ते छोड़ने लगे। 20वीं सदी के अंत में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को अपराध घोषित किया गया और तीन बड़े बदलाव हुए, स्टोर से खरीदे कुत्तों पर भारी टैक्स, CNVR प्रोग्राम (पकड़ना, नसबंदी, टीकाकरण, वापस छोड़ना) और पेट-पुलिस फोर्स, जो दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई करती है और जानवरों को बचाती है। जापान में सख्त एनिमल वेलफेयर नियम हैं। यहां आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, क्वारंटीन में रखा जाता है और गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वेटरनरी डॉक्टर कम-खर्च में नसबंदी प्रोग्राम चलाते हैं ताकि आवारा कुत्तों की संख्या काबू में रहे। यूथनेशिया यानी दया मृत्यु की भी इजाजत है मगर सिर्फ बीमार या खतरनाक कुत्तों के लिए। कुछ इलाकों में जेसै टोक्यो में इसे गैस चैंबर से किया जाता है। इस तरीके की आलोचना होती है क्योंकि इसमें कुत्तों को मरने के लिए 15 मिनट तक पीड़ा झेलनी पड़ती है। साउथ कोरिया में छोड़े गए पालतू जानवरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने आवारा बिल्लियों के लिए ट्रैप-न्यूटर-रिटर्न (TNR) प्रोग्राम शुरू किया। यानी बिल्लियों को पकड़ना, नसबंदी करना और फिर उन्हें उनके पुराने इलाके में छोड़ना।

खैर! आवारा कुत्तों को लेकर अभी सुर्खियों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मचे घमासान पर बात चल रही है। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदर्शन में कई पशु प्रेमियों, पशुपालकों, बचावकर्ताओं और देखभालकर्ताओं ने भाग लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएनएस की धारा 223 (किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा का

अपराध) तथा संबंधित धाराओं के तहत नई दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में मामला दर्ज किया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि यह बहुत बचकानी हरकत है। आप जानवरों की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे, लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस के आयुक्त एस.बी.के. सिंह के साथ काम किया है। मैं उनसे इस मामले पर पुनर्विचार करने और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आग्रह करता हूं। वही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आवारा कुत्तों को उनके इलाकों से हटाना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की, जिनके तहत कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि संसद के अधिनियम के तहत बनाए गए नियम अब भी लागू हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि मीडिया की ओर से जारी खबरों में रेबीज से होने वाली मौतों के मुद्दे को

सनसनीखेज बना दिया गया है जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में केवल ऐसी 54 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इसी बीच दिल्ली के पशु प्रेमियों और देखभालकर्ताओं ने आवारा कुत्तों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से जानवरों को नुकसान पहुंचेगा और स्थानीय समुदायों के साथ उनका संबंध प्रभावित होगा। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लगभग 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर निकटवर्ती थाने ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं। जिन पर लिखा था, ‘सावधान: काल भैरव देख रहे हैं’ और ‘स्थानांतरण रोकें’, ‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एकजुटता में खड़े हैं’ आदि लिखा था।

बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद फिल्मी जगत के कलाकारों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के निर्देश के बाद पूरे देश में कुत्तों के सपोर्ट में लोग सामने आ रहे हैं। फैसले को लेकर आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटी तक में नाराजगी है। इस फैसले पर बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भूमि पेडनेकर से लेकर जान्हवी कपूर और वरुण धवन तक ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है। कुछ लोग इस आदेश को सही मान रहे हैं तो कुछ इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इसी बीच इस फैसले पर सोशल मीडिया पर डॉग लवर्स बॉलीवुड सितारों ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है। जिसमें से एक भूमि पेडनेकर भी हैं, जिन्होंने लंबे-चौड़े पोस्ट के साथ इस फैसले पर अपनी राय पेश की है। भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने डॉग की तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं। कम लोग जानते हैं होंगे कि भूमि का ये डॉग उन्हें एक बेहद बुरी कंडीशन में मिला था। इस डॉग को बुरी तरह से पीटा गया था। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा-मेरे ब्रूनो बाबा हमारे जीवन में तब आए जब वे सिर्फ चार महीने के थे। जब @yodamumbai की शानदार टीम ने उन्हें ढूंढ़ा, तो वे बुरी तरह घायल और जख्मी थे। जबड़ा उखड़ गया था, पूंछ जल गई थी। फिर भी उनका हौसला एक योद्धा

जान्हवी कपूर

वरूण धवन

जैसा था। एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, यह सब उन नन्हे-मुन्नों ने किया था जिन्हें एक मासूम को सताने में मजा आता था। उनकी कोई गलती नहीं यह हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने अंदर सहानुभूति, सह-अस्तित्व और दया का भाव नहीं जगा पाए। ब्रूनो एक बुद्धिमान आत्मा है। वह बुद्धिमान, दयालु, चंचल, पालन-पोषण करने वाला, सुरक्षात्मक और साथ ही सौम्य भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को सुनकर, जिसमें दिल्ली में 3,00,000 कुत्तों को उठाकर शेल्टर में रखने की अनुमति दी गई है, मैं ब्रूनो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूं और उन सभी भारतीयों के बारे में भी, जिन्होंने उन सड़कों के अलावा कुछ नहीं जाना है, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। "दशकों से, गली के कुत्तों को खाना खिलाने वाले उनके हिमायती रहे हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके जख्मों की देखभाल करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं और अपनी जेब से उनका टीकाकरण करवाते हैं। उनके अस्तित्व को अपराधी बनाने या उनकी देखभाल करने वालों को सजा देने के बजाय, मुझे उम्मीद है कि हम और मजबूत सुधार और व्यवस्थाएं बनाएंगे। दूसरी तरफ भूमि के अलावा बॉलीवुड के और भी स्टार्स ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। जान्हवी कपूर ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि वे इसे खतरा मानते हैं और हम दिल की धड़कन मानते हैं। वरुण धवन ने भी जान्हवी वाले सेम पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया था। जॉन अब्राहम ने कोर्ट के फैसले पर मुख्य न्यायधीश बी.आर. गवई को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली के कुत्ते अवारा नहीं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं। जिन्हें काफी लोग सम्मान और प्यार देते हैं। ये इस क्षेत्र में लंबे समय से लोगों के पड़ोसी के तौर पर रह रहे हैं। वही नेता, अभिनेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है।

बहरहाल, दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में इसे लेकर विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई ने मामले में दखल देकर समीक्षा करने की बात कही है। ऐसे में डॉग लवर में एक बार फिर से कुत्तों के उचित संरक्षण को लेकर आस जाग गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिनों दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने प्रशासन को इस काम को करने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही इसको लेकर कई लोग विरोध तो कई लोग सपोर्ट में उतर आए हैं। यही कारण है कि अब मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने इस मामले की समीक्षा करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विवादों में घिरा हुआ है, कुछ लोग इसे सही हैं, जबकि अन्य इसे गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों की भी आलोचना की और कहा कि समाज को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई एक्टर और एक्ट्रेस ने विरोध जताया है। इसके साथ ही इस आदेश को पलटने की मांग की है। यही कारण है कि अब इस मामले पर सीजेआई की टिप्पणी सामने आई है। सीजेआई ने इस पूरे मामले पर कहा हम देखते हैं। आवारा कुत्तों के पुनर्वास के आदेश के संबंध में मुख्य न्यायाधीश गवई के समक्ष मेंशन किया गया है। महिला वकील ने कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों के संबंध में है, न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की एक अन्य पीठ ने कुत्तों को मारने और पुनर्वास के संबंध में निर्देश दिया गया है। सीजेआई ने कहा मैं इस पर विचार करूंगा। सीजेआई के इस बयान के बाद तमाम पशु प्रेमियों को एक उम्मीद जगी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक अन्य पीठ आवारा कुत्तों के संबंध में एक आदेश पहले ही पारित कर चुकी है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि कुत्तों के काटने की घटनाओं ने बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और उसने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शीघ्र, अति शीघ्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा मई 2024 में पारित उस आदेश

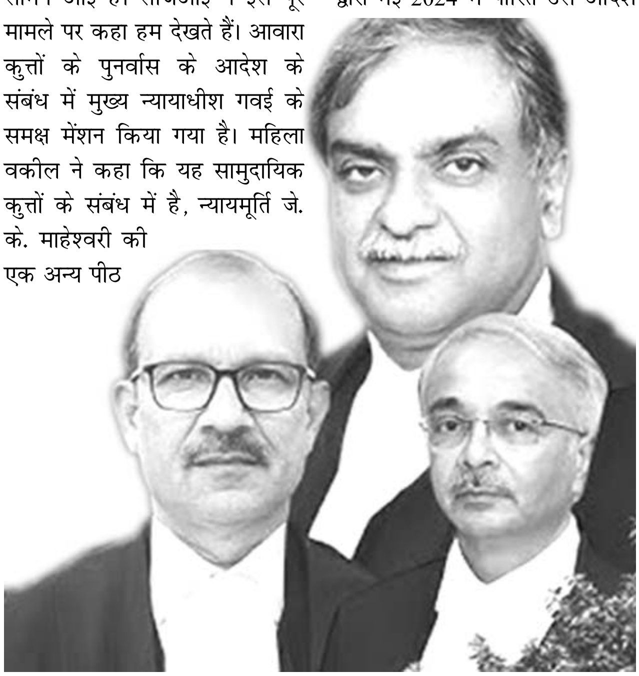

का हवाला दिया, जिसमें आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।

विदित हो कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर देश भर में व्यापक विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की एक नयी पीठ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक जिन जजों ने ये आदेश पारित किया था, वे इस सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली- एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर ''जल्द से जल्द'' आश्रय स्थलों पर स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। जब आवारा कुत्तों से संबंधित एक अन्य मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई के समक्ष 11 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए अपनी याचिका का उल्लेख किया, तो उन्होंने कहा कि वे 'इस पर गौर करेंगे'। न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को कहा था कि कुत्तों के काटने की घटनाओं ने ''बेहद गंभीर'' स्थिति पैदा कर दी है। इसने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को ''जल्द से जल्द'' आश्रय स्थलों पर स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। वही वकील ने न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा मई 2024 में पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। 'कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स' (इंडिया) की याचिका में दावा किया गया कि पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के तहत आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए नियमित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अपने फैसले में यह भी कहा कि समय के साथ कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ानी होगी। इसने दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 6 से 8 सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाना शुरू करें। इसके अलावा, पीठ ने चेतावनी दी कि यदि पुनर्वास अभियान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई तो किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अदालत अवमानना कार्यवाही भी शुरू कर सकती है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर कुत्तों को वापस छोड़ने के आदेश पर रोक हटा दी। अब आवारा कुत्तों को वैक्सिनेट कर वापस सड़कों पर छोड़ा जाएगा। हालांकि खतरनाक कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं। पीठ ने कहा कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जिनमें उल्लेख हो कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है। आवारा कुत्तों के मामले पर अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी।

● अमित कुमार

राजनीतिक लड़ाई के अपने-अपने अंदाज होते हैं। कोई नीतियों की पटरी पर राजनीतिक गाड़ी दौड़ाता है तो कोई धर्म के नाम पर राजनीति की ऊंचाई तक पहुंचता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति का अस्त्र ग्रामीण ठेठ भाषा को बना लिया। वह भी गंवई अंदाज में जहां भप्प, चुप जैसे शब्द चलते हैं और ग्रामीण मुहावरा उनका अस्त्र। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ग्रामीण अंदाज का सिक्का खूब चलाया। अब एक खास अंतराल के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सक्रिय राजनीति का साफा बांध लिया है। इस बार की जंग में एक अंतर है। वह यह कि इस बार का चुनावी जंग अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक ले जाने की है। बता दें कि बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' के पहले संबोधन से राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने गंवई अंदाज को परोसते दलित, पीड़ित और सेक्युलर जनता में उत्साह भर गए। राजद नेतृत्व को चाहने वाली भीड़ लालू यादव के एक लटके झटके से ही झूमने लगे। राजद सुप्रीमो ने बस एक नारा दिया लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को भगाना है।

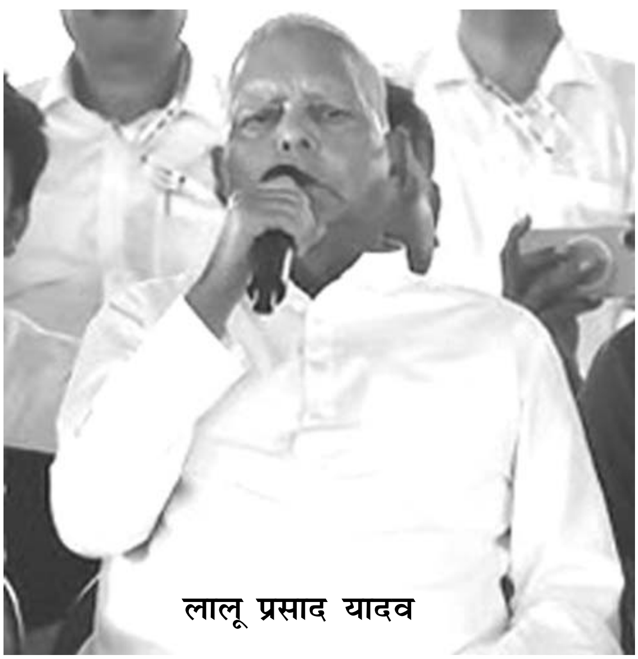
लालू प्रसाद यादव

इसके साथ राजद सुप्रीमो ने 'लागल-लागल झुलनियां में धक्का, बलम कलकत्ता चलअ...' का तड़का क्या लगाया पूरी जनसभा में उत्साह भर गए। राहुल गांधी के चेहरे में भी रौनक आया। बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खरगे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हंसने लगे। राजनीतिक सभाओं में यूं ही नहीं बोलते लालू यादव। वोट अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव एक मिनट ही बोले होंगे पर सासाराम की दलित, पिछड़ी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही पूरी आक्रामकता के साथ बोल गए। लालू यादव को पता है कि यह वह क्षेत्र है जहां लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन ने 100 फीसदी रिजल्ट देते सासाराम, बक्सर, आरा और काराकाट लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया। इस बार लालू यादव के निशाने पर शाहाबाद की 22 विधानसभा सीटें हैं। गत् चुनाव में एनडीए को मात्र दो सीटों पर ही

जीत मिली थी। बाकी 20 सीटों पर महागठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। सासाराम में लालू यादव ने अपने संबोधन से महागठबंधन की राजनीत को अपनी सक्रियता से भरपूर ताकत और दलित पीड़ित को भरोसा तो दे ही दिया। बहरहाल, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार के 20 जिलों से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के लिए सासाराम रवाना होने से पहले ये बात कही। यात्रा रोहतास जिले से शुरू हो रही है। बेटे तेजस्वी यादव के साथ प्रसाद ने कहा, हम देश में मौजूदा हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपातकाल से भी बदतर है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी भी हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव अब से बमुश्किल तीन महीने दूर हैं, ऐसे में राहुल गांधी, यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ सासाराम के बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) मैदान से यात्रा शुरू करेंगे। इसका समापन 16 दिनों के बाद एक सितंबर को पटना में

एक रैली के साथ होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

गौरतलब है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' कर रहे हैं, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 'इंडिया' गठबंधन के कई अन्य नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की इस यात्रा में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में 16 दिन में 20 जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार-'एक व्यक्ति, एक वोट' की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा के डबल इंजन का एक डिब्बा नहीं बनाने दिया जा सकता। खेड़ा ने कहा, आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसलिए संभव है, क्योंकि हमारे पास वोट करने की ताकत है। राहुल गांधी जी ने संघर्ष शुरु किया है, ताकि देश में हर एक नागरिक आजादी से सांस ले सके। उन्होंने कहा, हमारे 'इंडिया' गठबंधन के साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपील की, तो उच्चतम न्यायालय को भी इसमें दखल देना

पड़ा। यह षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था। ये आपकी, हमारी पहचान छीनने का षड्यंत्र था। खेड़ा ने दावा किया कि आज दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, कल उनकी भागीदारी छीनी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, चुनाव आयोग इस 'डबल इंजन' का एक डब्बा बनकर रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं होगा। हम इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि यह आपके अधिकार और हक की यात्रा है। आप भी इस यात्रा में शामिल हों, ताकि बिहार से लोकतंत्र को दिशा मिल सके। उन्होंने कहा, 'वोटर अधिकार यात्रा' एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। हम सबके अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ यह यात्रा कर रहे हैं। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की गई और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी।

वही दूसरी तरफ पार्टी से छः साल के लिए निष्काषित किये जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ खुद की पार्टी टीम तेजप्रताप यादव का गठबंधन किया। इसके बाद से ही वह राजद विरोधी बयान देते नजर आ रहे है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को असरहीन करार दिया है। उनका कहना है कि असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी हैं, जबकि यह यात्रा लोगों को भटकाने का काम कर रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने वाला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें क्योंकि इनसे केवल विपक्ष को राजनीतिक लाभ मिलता है। राजनीति में अक्सर बयानबाजी चर्चा का केंद्र बनती है। इस बार सुर्खियों में तेज प्रताप यादव हैं। एक निजी यूट्यूब चैनल से बातचीत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, एकदम है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है मेरे मन में। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी पिताजी की तरह काम कर पाएंगे। तेज प्रताप का कहना है कि जब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक अपने पिता लालू प्रसाद यादव जैसा काम नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि लालू ने जमीन से जुड़े रहकर लोगों की सेवा की थी, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में यह कमी दिखती है। "मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसके मन में नहीं होती? क्रिकेट खेल रहा है तो कप्तान बनने का मन करता है, स्कूल में पढ़ रहा है तो मॉनिटर बनने का मन करता है। ऐसे ही मेरे मन में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक पिताजी की तरह जनता की सेवा करना संभव नहीं होगा।" तेज प्रताप यादव ने इस बयान के साथ अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस काबिल नहीं हैं कि वे मुख्यमंत्री बनें। उनका आरोप है कि तेजस्वी असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे और गलत दिशा में जा रहे हैं। "हम तेजस्वी जी के लिए कहते थे पर अब वो उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं। उनका लाइन धीरे-धीरे भटक रहा है। वे मुख्य मुद्दों से दूर होकर राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ नौटंकी में समय बर्बाद कर रहे हैं।" तेज प्रताप यादव ने न केवल तेजस्वी बल्कि राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी सिर्फ नौटंकी कर रही है। इससे बिहार की असली समस्याएं पीछे छूट रही हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' जैसी बड़ी राजनीतिक गतिविधि शुरू की है। तेज प्रताप का यह बयान उस रणनीति पर भी सवाल खड़ा करता है। बता दें कि तेज प्रताप यादव की छवि अब तक ज्यादा विवादित बयानों और व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है। वे 2015 में पहली बार विधायक बने और मंत्री भी रहे, लेकिन कई बार अजीबोगरीब बयान, धार्मिक और पौराणिक रूपकों के जरिए राजनीति करने के कारण वे मजाक का विषय बने। इसके बावजूद, वे लगातार खुद को एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते

तेजप्रताप यादव

रहे हैं। उनका यह बयान उनके राजनीतिक करियर की दिशा तय करने में अहम मोड़ साबित हो सकता है। तेज प्रताप यादव का "मुख्यमंत्री बनने की इच्छा" वाला बयान न केवल उनके भविष्य की राजनीति की दिशा दिखाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि राजद परिवार में अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी इस लायक नहीं हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी ने सासाराम से 1,300 किमी लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की है।

विदित हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए चुनाव में वोट चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने जादू से लाखों मतदाता पैदा किए। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात तो कर दी, लेकिन यह पता है कि वह असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत से पहले आयोजित सभा में यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर मतदाता सूची के बारे में जानकारी एकत्र की गई। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़कर और नाम हटाकर चुनाव की चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, जहां भी वोट की चोरी हो रही है, वहां हम यह चोरी पकड़कर जनता को बताएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात तो कर दी, लेकिन यह पता है कि वह असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए। वही बता दें कि बिहार में मृत मतदाता का मसला चर्चा के साथ के साथ विवाद में भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर भी अब जमकर वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए लिखा, 'जीवन में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका कभी नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए, चुनाव

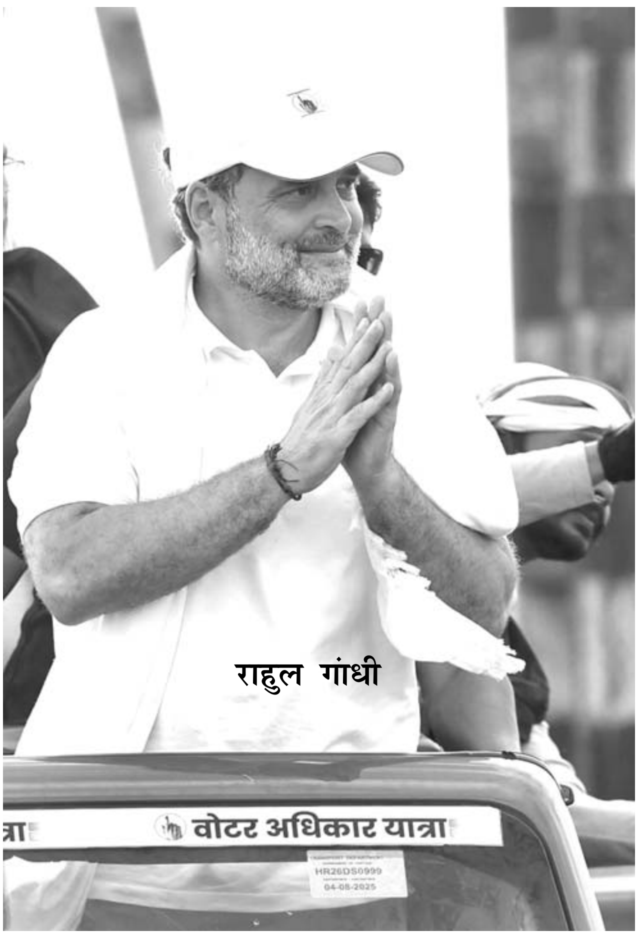

राहुल गांधी

आयोग का धन्यवाद!'

दरअसल, बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 'मृत' घोषित मतदाताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की और चाय पी। इसके बाद चुनाव आयोग और वोटिंग अधिकारों पर चल रहे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुनवाई के बीच, राहुल गांधी ने उन सात मतदाताओं से मुलाकात की, जिन्हें चुनाव आयोग ने 'मृत' घोषित कर दिया था, लेकिन वे सभी जीवित हैं। दिलचस्प है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने का 'आकस्मिक तरीका' बताया है और इसे चुनाव आयोग की शक्तियों और एक आम नागरिक के वोट देने के अधिकार के बीच की लड़ाई करार दिया है। सनद् रहे कि राहुल गांधी ने राघोपुर में बिहार के इन सात मतदाताओं के साथ चाय पर चर्चा की। ये सभी मतदाता तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इन मतदाताओं ने राहुल गांधी को बताया कि वे अपने मताधिकार को वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीर राजनीतिक रंग देते हुए एक बयान जारी किया है। पार्टी ने कहा कि यह सिर्फ लिपिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक मताधिकार से वंचित करना है। कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया, जब जीवित लोगों को मृत बताकर हटा दिया जाता है तो लोकतंत्र को ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस घटना ने बिहार चुनाव और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चल रहे विवाद को

और गहरा कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कानूनी वैधता की जांच कर रहा है, वहीं राहुल गांधी की यह प्रतीकात्मक मुलाकात ने इसे एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। विपक्षी दल इस मामले को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है और वह यह सब भाजपा के लिए कर रहा है। राहुल ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। मैं 100% सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूं। हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई। इस जांच में 6 महीने लगे और जो हमें मिला है–वो एटम बम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हों, चाहे आप रिटायर ही क्यों न हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं बड़ी गंभीरता से बोल

रहा हूं कि निर्वाचन आयोग में जो भी यह काम कर रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह राष्ट्रद्रोह है। आप सेवानिवृत्त हो गए हों, या कहीं भी हों, आपको ढूंढ़कर निकालेंगे। वही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार देकर सभी लोगों को ताकत दिया, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग को आगे करके वोट का अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आपके (जनता) वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी, यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, बिहार में हम बेईमानी नहीं होने देंगे। राजद नेता ने दावा किया कि वह जिन वादों की घोषणा करते हैं, बिहार की नीतीश कुमार सरकार नकल करके वही घोषणाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में नकलची सरकार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमें मौका मिला तो हम बिहार में विकास करने वाली सरकार देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा

रही यात्रा में वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआईआर) के मुद्दे को उठाया जाएगा।

दिगर बात है कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभों में से एक चुनाव आयोग इन दिनों विपक्षी दलों के हमलों के केंद्र में है। और इस बार हमला न केवल तीखा है बल्कि ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें लंबे समय तक सत्ताधारी दल ने अपरिपक्व नेता की छवि में बांधने की कोशिश की, अब खुले मंचों से चुनाव आयोग को 'मर चुकी संस्था' कह रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर यह हमला साधारण नहीं। यह एक ऐसा बयान है जो संविधान, व्यवस्था और जनविश्वास तीनों को चुनौती देता है। यह बहस केवल एक व्यक्ति बनाम संस्था नहीं, बल्कि लोकतंत्र बनाम सत्ता–केन्द्रित राष्ट्रवाद के संघर्ष की नई कथा है। बीते 10 दिनों में तीसरी बार, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसा हमला बोला है, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की निष्पक्षता पर बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने बीते कुछ हफ्तों में कई बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है, जिससे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। 2 अगस्त, 2025 को विज्ञान भवन में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है। अगर 10–15 सीटों पर धांधली न होती, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। यह बयान सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसीयता वैध ता को चुनौती देता है। इस वाक्य ने

एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील नस को छू लिया है–चुनाव प्रणाली और उसकी निष्पक्षता को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 100 सीट पर धांधली हुई है और अगर इनमें से 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन में इस बात को फिर से दोहराया कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के जो सबूत मिले हैं, वो एटम बम की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसका सबूत दिया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उनके नए दावे पर निर्वाचन आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बहुत ही साधारण बहुमत के साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 100 सीट पर धांधली हुई है और अगर इनमें से 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन में इस बात को फिर से दोहराया कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के जो सबूत मिले हैं, वो एटम बम की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में

इसका सबूत दिया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उनके नए दावे पर निर्वाचन आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि लोकसभा चुनाव में 70, 80 या 100 सीट तक पर धांधली हुई है। यदि 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 2014 से ही मुझे चुनाव प्रणाली पर संदेह है। भाजपा की प्रचंड जीत हासिल करने की क्षमता आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में जो हुआ, उसने मुझे इस मुद्दे को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि इन सबूत के आधार पर देश को दिखा दिया जाएगा कि निर्वाचन आयोग की संस्था उस तरह काम नहीं करती, जैसा उसे करना चाहिए तथा यह समझौते का शिकार हो चुकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने दावा किया था कि निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है, जो 'एटम बम' की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को निराधार और निंदनीय करार दिया तथा कहा कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं आग से खेल रहा हूं और मैंने कहा कि मुझे पता है कि मैं आग से खेल रहा हूं और मैं आग से खेलना जारी रखूंगा। उन्होंने कहा आखिरकार, आप में से अधिकतर लोगों की तरह, मैं भी आग में विलीन हो जाऊंगा। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि कायरों से नहीं डरना चाहिए। सबसे कायरतापूर्ण काम जो आप कर सकते हैं, वह है किसी कायर से डरना। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा काफी हद तक कायरता पर आधारित है। राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख किया, जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, तो पाते हैं कि उस समय कई वकील सबसे आगे थे। वकील

राजनाथ सिंह

कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हैं और आप ही वो लोग हैं, जिन्होंने संविधान की कल्पना की थी और इसके निर्माता थे।

बताते चले कि 1 अगस्त को राहुल गांधी ने जो बयान दिया वह समाचार चैनलों की हेडलाइन बन गया–'हमारे पास एटम बम है'। जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। इस राजनीतिक धमाके का जवाब दिया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने, जो खुद एक अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास परमाणु बम है तो उसे फोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप सुरक्षित रहें। यह संवाद जितना तीखा था, उतना ही प्रतीकात्मक भी, यह सिर्फ आरोप- प्रत्यारोप नहीं बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही और साख पर सीधी बहस थी। यह संवाद दर्शाता है कि भारत में चुनाव अब केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक युद्ध का रूप ले चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने राहुल को निर्वाचन आयोग के खिलाफ 'सबूतों का एटम बम' फोड़ने की चुनौती दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में 'वोट चोरी' में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है, जो 'एटम बम' की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है, तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद खतरे से दूर रहें। सिंह ने कहा कि देश को राहुल गांधी के पिछले बयानों की याद है। उन्होंने संसद में भूकंप आने की धमकी दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो वह एक बेकार बात साबित हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है, जो निर्विवाद ईमानदारी के लिए सम्मानित है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। विपक्ष के नेता को किसी संवैधानिक संस्था के बारे में निम्न स्तर की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। सिंह ने कांग्रेस नेता को याद दिलाया कि उनकी अपनी पार्टी के हाथ खून से रंगे हैं, जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी।

विदित हो कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उसकी अक्षमता और स्पष्ट पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। यह बयान उस समय आया जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में एसआईआर का बचाव किया और विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी कमियों को दूर करना होता है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और निर्वाचन आयोग के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। सीईसी की टिप्पणी के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया क्या आयोग उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा। उन्होंने कहा कि आज, राहुल गांधी द्वारा सासाराम से 'इंडिया' गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने के कुछ ही देर बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह कहना शुरू किया कि वे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के

जयराम नरेश

बीच कोई अंतर नहीं करते। रमेश ने 'एक्स' पर लिखा कि सच यह है कि तमाम विरोधाभासी सबूतों के बीच यह बेहद हास्यास्पद है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के किसी भी स्पष्ट सवाल का सारगर्भित जवाब नहीं दिया। रमेश ने दावा किया कि गांधी ने अब तक जो कुछ भी कहा है वह निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर ही आधारित है। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग की न केवल अक्षमता बल्कि घोर पक्षपातपूर्ण नीति भी बेनकाब हो गई है। रमेश ने कहा, क्या निर्वाचन आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त, 2025 के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा? कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा, वह संवैधानिक रूप से ऐसा करने को बाध्य है। देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है। एक अन्य पोस्ट में रमेश ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरल सलाह है कि जांच करें, डराएं नहीं। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब यह 'नया' निर्वाचन आयोग सीधे तौर पर बोल रहा था और सूत्रों के जरिए कोई जानकारी नहीं दे रहा था। रमेश ने कहा कि कल, निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसका उद्देश्य

मतदाता सूची में सुधार की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों पर डालना था। उन्होंने कहा कि इस प्रेस नोट की विपक्षी दलों और आम जनता की ओर से भी तीखी आलोचना हुई थी। रमेश ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन भी बिहार एसआईआर के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नामों के प्रकाशन को रोकने के लिए चुनाव आयोग की हर दलील को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के तीन दिन बाद हुआ है। रमेश ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तीखी और दस्तावेजी आपत्तियों के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने इन 65 लाख मतदाताओं के सभी विवरण खोजे जा सकने योग्य प्रारूप में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के इस्तेमाल की भी अनुमति दी थी। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब ज्ञानेश कुमार सामने आए तो देश को पता चला कि वह ही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लोग किसी “सूत्र” नामक व्यक्ति को ही मुख्य चुनाव आयुक्त समझते थे। खेड़ा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी, वह भाजपा की थी। उन्होंने हाल के दिनों में कांग्रेस और राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।” उन्होंने कहा, “हम आपसे आपकी जिम्मेदारी समझने का आग्रह करते हैं... लोकतंत्र की हत्या की भाजपा की योजना

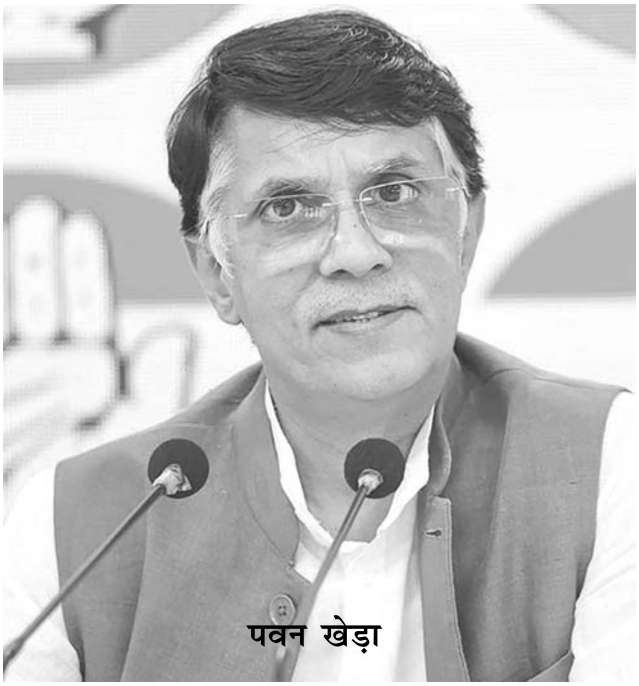
पवन खेड़ा

का हिस्सा न बनें। कृपया संवाददाता सम्मेलन के दौरान किसी धारावाहिक की घटिया स्क्रिप्ट न पढ़ें, बल्कि पूछे गए सभी सवालों के जवाब दें।” इससे पहले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा था कि कुछ दल “गलत सूचना फैला रहे हैं और आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।” सीईसी ने दोहरे मतदान और “वोट चोरी” के आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी हितधारक एसआईआर को पारदर्शी तरीके से सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) में शामिल दलों ने कथित “वोट चोरी” के खिलाफ बिहार में “मतदाता अधिकार यात्रा” शुरू की है।

वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगियों की लोगों को मताधिकार से वंचित करने की नापाक साजिश का पर्दाफाश करता है। तेजस्वी ने इस आदेश को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जारी लड़ाई, विपक्षी दलों की एकता एवं संघर्ष और बिहार की जनता की एकजुटता की जीत करार दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर शीर्ष अदालत के आज के अंतरिम आदेश ने भाजपा, उसके सहयोगियों की लोगों को मताधिकार से वंचित करने की नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर नजर रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे और साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। तेजस्वी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने संसद, विधानसभा, विधान परिषद और सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एसआईआर के संबंध में न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। हम जो मांग लगातार उठा रहे थे, उन्हें अब उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करेगा।” उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 65 लाख से अधिक मतदाता, जिनके नाम हटा दिए गए थे, निर्वाचन आयोग अब उनसे संबंधित जानकारी बूथ-वार प्रदान करेगा, जिसमें मृत मतदाताओं, स्थानांतरित व्यक्तियों और

उन लोगों के बारे में डेटा शामिल होगा, जिनके नाम गलती से लापता श्रेणी में जोड़ दिए गए थे या हटा दिए गए थे। राजद नेता ने कहा कि एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद यह मामला पहली बार 27 जून को उठाया गया था और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का कभी भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अंतरिम आदेश ने निर्वाचन आयोग की बेईमानी, धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने की प्रवृत्ति को भी उजागर कर दिया है। अब आयोग के कामकाज का सच सामने आ गया है। हम निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इस तरह की गड़बड़ियों को उजागर करते रहेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अब "हाईटेक" हो गई है। उन्होंने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एकजुट होकर विरोध करने के लिए विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और शरद पवार का आभार जताया। राजद नेता ने कहा कि लोग जानते हैं कि जब यह खुलासा हुआ कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सांसद वीणा देवी, जदयू के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, मुजफ्फरपुर के महापौर और अन्य भाजपा नेताओं के पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र हैं, तब निर्वाचन आयोग कैसे चुप रहा। उन्होंने कहा, मेरा मजाक उड़ाया गया और राजग नेताओं ने मेरे रुख के लिए मुझे गालियां दीं। लेकिन निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बना रहा; मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं राजग नेताओं को बिहार में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की उनकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। तेजस्वी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, "एक बिहारी, सब पर भारी।" उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में राजग को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए और बिहार की जनता को परेशान करने के लिए किया। लेकिन जनता ने अपनी एकता से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ है। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश तब उजागर हुई, जब एसआईआर पर सुनवाई के दौरान मृत मतदाताओं को शीर्ष अदालत के समक्ष यह साबित करने के लिए पेश किया गया कि वे जीवित हैं। उन्होंने दावा किया कि अज्ञात स्रोतों का इस्तेमाल करके झूठी खबरें चलाई गईं, लोगों को घुसपैठिया बताया गया और 'मीडिया ट्रायल' के दौरान व्यक्तिगत हमले किए गए। तेजस्वी ने कहा कि एक बार बूथवार सूची सार्वजनिक हो जाए, तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोगों को घुसपैठिया बताने की राजनीति का भी पर्दाफाश हो गया है। राजद नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठिये का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के मतदाताओं को बिहार में पंजीकृत किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात के रहने वाले हैं, पटना में मतदाता बन गए हैं, जबकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर में मतदान किया था। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सभी नेता बिहार के रोहतास जिले से 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू किया है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें सच्चाई बताई जा सके।

बहरहाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दल आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके 'वोट चोरी' के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह केवल शपथ लेकर गवाह के रूप में ही ऐसा कर सकता है। निर्वाचन आयोग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने 'वोट-चोरी' के खिलाफ चुनावी राज्य बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने संबोधित करते हुए दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के आरोपों को निराधार करार दिया तथा कहा कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से एसआईआर को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा बिहार में एसआईआर के समय पर सवाल उठाए जाने पर कुमार ने कहा कि यह एक मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है। उन्होंने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह करता है। अभी 15 दिन बाकी हैं। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं तथा बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से

भीखूभाई दलसानिया

मिलकर काम कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता तथा सत्तारूढ़ और विपक्षी दल, दोनों ही चुनाव प्राधिकार के लिए समान हैं। उन्होंने कहा, अगर चुनाव याचिकाएं 45 दिन के भीतर दायर नहीं की जातीं, लेकिन वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, तो यह भारतीय संविधान का अपमान है। कुमार ने कहा कि न तो आयोग और न ही मतदाता दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के निराधार आरोपों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग कुछ लोगों द्वारा खेली जा रही राजनीति की परवाह किए बिना सभी वर्गों के मतदाताओं के प्रति दृढ़ रहेगा। उन्होंने सवाल किया, चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। क्या इतनी

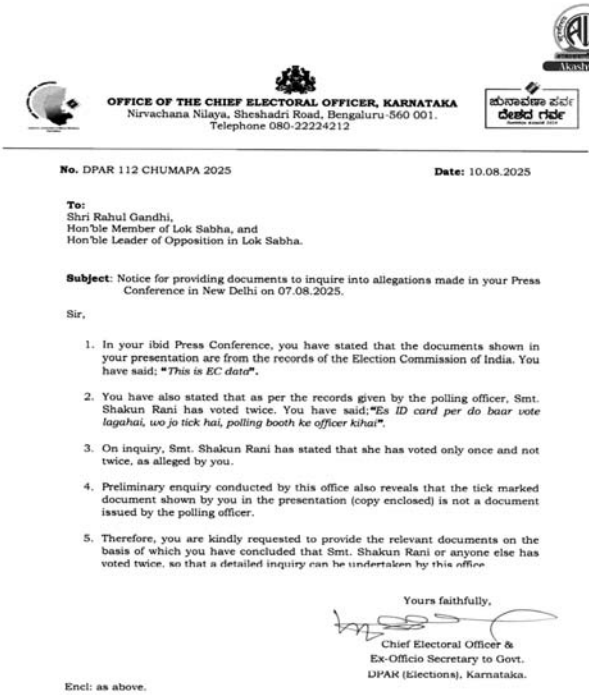

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, KARNATAKA
Nirvachana Nilaya, Sheshadri Road, Bengaluru-560 001.
Telephone 080-22224212

No. DPAR 112 CHUMAPA 2025 — Date: 10.08.2025

To:
Shri Rahul Gandhi,
Hon'ble Member of Lok Sabha, and
Hon'ble Leader of Opposition in Lok Sabha.

Subject: Notice for providing documents to inquire into allegations made in your Press Conference in New Delhi on 07.08.2025.

Sir,

1. In your ibid Press Conference, you have stated that the documents shown in your presentation are from the records of the Election Commission of India. You have said: "*This is EC data*".
2. You have also stated that as per the records given by the polling officer, Smt. Shakun Rani has voted twice. You have said: "*Es ID card per do baar vote lagahai, wo jo tick hai, polling booth ke officer kihai*".
3. On inquiry, Smt. Shakun Rani has stated that she has voted only once and not twice, as alleged by you.
4. Preliminary enquiry conducted by this office also reveals that the tick marked document shown by you in the presentation (copy enclosed) is not a document issued by the polling officer.
5. Therefore, you are kindly requested to provide the relevant documents on the basis of which you have concluded that Smt. Shakun Rani or anyone else has voted twice, so that a detailed inquiry can be undertaken by this office.

Yours faithfully,

Chief Electoral Officer &
Ex-Officio Secretary to Govt.
DPAR (Elections), Karnataka.

Encl: as above.

ज्ञानेश कुमार

पारदर्शी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' हो सकती है? यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कांग्रेस द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद अपना हमला तेज कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत से पहले आयोजित सभा में यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कई दलों की शिकायतों और देश के भीतर मतदाताओं के प्रवास के मद्देनजर नवीनतम एसआईआर आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि जाने-अनजाने में, प्रवास और अन्य समस्याओं के कारण कुछ लोगों के पास कई मतदाता पहचान पत्र हो गए। यह एक मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में सुधार करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुआ कहा कि पहले निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने दावे को लेकर हलफनामा दें या फिर माफी मांगें। खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है। खेड़ा ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा का असर यह है कि इसकी शुरुआत होते ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा। जब कल वह प्रकट हुए तो धमकी दी कि हलफनामा दो या माफी मांगो। वह शायद भूल गए कि हम धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा

पवन खेड़ा

कन्हैया कुमार

कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने ही कागजात पर भरोसा नहीं है। खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा संविधान की चोरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सर्वेक्षण में कहा गया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे उलट आए। कुमार ने कहा कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची की मांग की। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग हलफनामा मांग रहा है क्योंकि उसे अपने ही कागज पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग देश की जनता की आंखों में आंकड़े झोंकना चाहता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद कांग्रेस भी हलफनामा देकर बताएगी कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा साफ नहीं है और वह सर्वोच्च नेता का चेहरा चमकाने में ज्यादा व्यस्त है। कुमार ने दावा किया कि कागज के नाम पर असल मतदाताओं को परेशान किया गया।

बताते चले कि राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा और चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं उसी तरह निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मकसद नए ढंग से वोट चोरी करना है। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के जरिए भारत माता पर आक्रमण किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जनता इस आयोग से हलफनामा मांगेगी, क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे देश में पकड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने दूसरे दिन की यात्रा औरंगाबाद के कुटुंबा से शुरू की, जो रफीगंज होते हुए गयाजी जिले पहुंची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ इस यात्रा में

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद स्थित मशहूर देव सूर्य मंदिर के दर्शन किए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जगह-जगह लोग सड़क के किनारे कतारबद्ध खड़े थे और लोगों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। राहुल गांधी ने पहले सासाराम और फिर औरंगाबाद में ऐसे कई लोगों से मुलाकात की, जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए, जबकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग यह कहता है कि एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वह है, चोरी उनकी पकड़ी गई। मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया

विशेष पैकेज लाए हैं, उसका नाम एसआईआर है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना है। राहुल गांधी का कहना था कि जनता का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा, मैं जो कहता हूं वह करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता..तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें। अभी नरेन्द्र मोदी की सरकार है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बारिश के बीच जनता को संविधान की प्रति दिखाते हुए दावा किया कि यह भारत माता का संविधान है और जब नरेन्द्र मोदी तथा निर्वाचन आयोग वोट चोरी करते हैं, तो वे भारत माता और संविधान पर आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग को भारत माता और संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे। निर्वाचन आयुक्तों सुन लीजिए, अगर सही काम नहीं किया, तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वोट चोरी...संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। हम न तो निर्वाचन आयोग और न ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे। उन्होंने सभा में कहा, कई साल से लग रहा

था।। कि चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर चोरी किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमें ये भी पता चला कि भाजपा ने कर्नाटक में भी वोट चोरी की। हमने कर्नाटक में एक विधानसभा सीट की मतदाता सूची की तो पता चला कि वहां एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी अपने दावे को लेकर सात दिन में हलफनामा दें या फिर माफी मांगें और यदि हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार माना जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में दोनों निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद थे।

सनद् रहे कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक कर दिया है। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हटाए गए नामों का प्रकाशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार, रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नामों को

हटाने का कारण भी बताया जाए, जैसे कि मृत्यु, प्रवासन या दोहरी प्रविष्टि (डुप्लीकेसी)। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके अलावा, यह लिस्ट बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों, ब्लॉक विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस जानकारी का व्यापक प्रचार करने का निर्देश भी दिया था, जिसमें अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया शामिल हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम दोबारा जोड़ने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। विडम्बना है कि चुनावी राज्य बिहार में निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्र शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पटना में सबसे ज्यादा 3.95 लाख गणना प्रपत्र को मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मधुबनी में ऐसे गणना प्रपत्र की संख्या 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख और गोपालगंज में 3.10 लाख है। आयोग के अनुसार, एसआईआर की कवायद शुरू होने से पहले बिहार में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 7.9 करोड़ बताई गई थी। हालांकि, उसने बताया कि तब से 22.34 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 36.28 लाख लोग या तो राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं या अपने बताए गए पते पर नहीं मिले हैं और 7.01 लाख लोग एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। मसौदा मतदाता सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई हैं और राज्य के सभी 38 जिलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को "दावे और आपत्तियों" के चरण के लिए इनके प्रिंटआउट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह चरण एक सितंबर तक जारी रहेगा और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पटना में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसी विपक्षी पार्टियों ने मसौदा मतदाता सूची में साझा किए गए विवरण पर असंतोष व्यक्त किया। ये दल आरोप लगा रहे हैं कि इस कवायद का मकसद राज्य विध नसभा चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की मदद करना है।

विदित हो कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप गठबंधन की सरकार बनाइए। हम अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो वहां माहौल पूरी तरह चुनावी जंग में बदल गया। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दौरान मंच से ऐलान किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक मजबूत सरकार बनाएगा और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएगा। वही तेजस्वी ने राहुल गांधी की मौजूदगी के लिए आभार जताया और कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार से एनडीए का सफाया किया जाए। इस बार हम सब मिलकर लोकसभा में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा सरकार केवल वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट रही, बल्कि पेंशन और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी लोगों को वंचित कर रही है इस मौके पर राहुल गांधी ने भी मंच से संकेत दिए कि कांग्रेस "वोट चोरी" की सच्चाई जनता के सामने उजागर करने का काम करेगी। बता दें कि 'वोटर अधिकार यात्रा' में सुबोध कुमार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को 'वोट चोरी' की कहानी बताई। सुबोध ने बताया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। इतना ही नहीं, मैं लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट भी था। वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने भाषण में कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर पहले आपका वोटर कार्ड छीना। उसके बाद राशन कार्ड छीन लिया जाएगा। फिर आपकी जमीनें अडानी-अंबानी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये देश चुनिंदा पूंजीपतियों का नहीं है। ये देश युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों का है, लेकिन यहां सारा काम पूंजीपतियों के लिए होता है। इसलिए हमें ये हालात मिलकर बदलने हैं।

बहरहाल, 2025 का

बिहार विधानसभा चुनाव पिछली बार की तुलना में कुछ खास होने जा रहे हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि हर चुनाव में मतदाताओं संख्या में इजाफा होता है, लेकिन बिहार में इस बार 2020 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या कम रहने वाली है। इस बार 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। निश्चित रूप से इसका व्यापक असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत बिहार के अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की मतादाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में मतदाता अपने वोट के हक से वंचित रह जाएंगे। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम भी पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी वोटरों को हटाकर और योग्य मतदाताओं को जोड़कर मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इससे चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चूंकि इस चुनाव में 65 लाख मतदाता कम होने की बात कही जा रही है, ऐसे में राज्य की सभी 243 सीटों पर औसतन करीब 25000 वोट कम हो जाएंगे। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 150 के लगभग ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां जीत का अंतर 25 हजार या उससे नीचे रहा है। इनमें 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हार-जीत का अंतर 5000 या उससे कम रहा था। करीब 18 सीटों पर परिणाम 3000 से भी कम वोटों के आधार पर तय हुआ। आधा दर्जन सीटें ऐसी भी थीं, जहां हार-जीत का फासला महज 1000 वोटों से भी कम रहा है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से यदि हटाए गए मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थक हैं या किसी समुदाय से संबंधित हैं तो इससे वोटों का समीकरण बदल सकता है। दूसरी ओर, नए और योग्य मतदाताओं के जुड़ने से भी चुनावी परिदृश्य में बदलाव आ सकता है। इस प्रक्रिया में कुछ जटिलताएं भी देखने को मिल रही हैं। इस बार नए आवेदकों को अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता की घोषणा और जन्मतिथि और स्थान का प्रमाण देना होगा। यदि वे भारत के बाहर पैदा हुए हैं, तो उन्हें भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण या नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। राज्य में वर्तमान में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि भाजपा एक सीट के अंतर से दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर है। बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत रहेगी। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि मतदाताओं की संख्या घटने का लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलेगा या विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जरूर तय है कि इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ●

YouTuber booked for calling BSP Chief Mayawati ‘Mummy’ in viral video; issues apology after FIR

YouTuber Puneet Superstar, whose real name is Prakash Kumar, has been booked for allegedly insulting former Uttar Pradesh Chief Minister and Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati by calling her "Mummy" in a viral Instagram video.

The FIR was filed late last night at the Shalimar Garden police station by BSP’s Ghaziabad district president, Narendra Mohit. In his complaint, Mohit alleged that the YouTuber's remarks had hurt the sentiments of party workers and disrespected a senior political leader known across the nation as “Behenji”. In the now-viral video posted from Instagram account @puneetsuperr_star, Puneet is seen addressing ***Mayawati emotionally, saying : "Mayawati mummy… I miss you a lot. I think of you often. Mummy… where have you gone?"***

He used an image of the BSP leader in the background while delivering the lines. Following the backlash, Puneet released a public apology video, saying, "Last night I made a video on former CM Mayawati Ji. I had no intention to hurt anyone’s sentiments. If I did, I fold my hands and sincerely apologise. I promise never to repeat such a mistake in the future. Jai Shri Ram."

The BSP maintains that the YouTuber's actions were disrespectful and aimed at mocking the former CM under the guise of comedy. The complaint also mentions that such acts disrupt social harmony and demands strict legal action to prevent recurrence. This isn’t the first time Puneet has drawn controversy. In earlier videos, he referred to Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav as "Papa" and pleaded for an iPhone 16 Pro Max, saying, "Papa... Please buy it for me."

The YouTuber has also earlier claimed both PM Narendra Modi and Home Minister Amit Shah as his "fathers" for “running the country while staying hungry” and made similar remarks about Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal. Known for his outlandish and often offensive content, Puneet has over 1 crore (10 million) followers on Instagram and 24,000 subscribers on YouTube. His videos often show him engaging in antics like lying in mud or mocking homeless individuals, behaviours that have frequently been criticised as insensitive and degrading.

दिल्ली सीएम पर हमला

● संजय सिन्हा

सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की। भाजपा की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया है कि जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। घटना से हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही कई भाजपा नेता भी सीएम आवास पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जनसुनवाई के दौरान एक युवक शिकायत लेकर पहुंचा था। उसके हाथ में एक कागज था। युवक ने पहले कागज हवा में लहराया, जोर से चिल्लाया और फिर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार लिखे जाने तक यह पता नहीं चल सका कि आरोपी कौन था और उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ क्यों मारा? पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है। वह मूल रूप से राजकोट का रहने वाला है। राजेश की उम्र 41 वर्ष बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। वही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थीं। एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी धक्का-मुक्की हुई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो कौन है और अन्य सभी विवरणों की पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने उनकी जांच की

रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री, नई दिल्ली

वीरेन्द्र सचदेवा

देवेन्द्र यादव

अतिशी मारलेना

है। मैं उनसे मिला हूं, वे एक मजबूत महिला हैं। ऐसा लगता है कि उनके सिर पर हल्की चोट लगी है। राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि आरोपी की पहचान सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जांच कर रहा है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान उन पर हमला किया गया। रेखा गुप्ता ने इस हमले को हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा करार दिया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराने और उन्हें पीटने की कोशिश की। किसी पर भी खासकर एक महिला मुख्यमंत्री पर जो 24 घंटे जनता के कामों के लिए समर्पित हैं, उस पर ऐसा हमला दिल्ली में कभी नहीं सुना था। वही आधिकारिक सूत्रों ने शालीमार बाग स्थित गुप्ता के आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर हमला एक 'सुनियोजित साजिश' का हिस्सा था। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए दिख रहा है। वीडियो में आरोपी परिसर की रेकी करते, मुख्यमंत्री आवास के दृश्य रिकॉर्ड करते और बाद में हमला करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। फुटेज में, वह एक दिन पहले अपने दौरे के दौरान किसी से फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी गई है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिरसा ने जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपी पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था। परवेश वर्मा ने कहा कि आज जो भी हुआ है, वो निंदनीय है। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्हें चोट आई है। आरोपी पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले? आज उसने मुख्यमंत्री से मिलते ही उनपर हमला कर दिया। हमले में मुख्यमंत्री को हाथ, कंधे और सिर में चोट आई है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ठीक हैं। हमलावर पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था। वह हमला करने की मंशा से ही आया था। उसके पास कोई जनसुनवाई का कागज नहीं था। जनसुनवाई जारी रहेंगी। दिल्ली के काम किसी हालत में नहीं रुकेंगे। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला बहुत ही गंभीर मामला है यह कोई राजनीतिक हमला नहीं है यह मारने की नियत से किया गया हमला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई

राजा बंठिया
पुलिस उपायुक्त (उत्तरी दिल्ली)

कपिल मिश्रा

परवेश वर्मा

मनजिंदर सिंह सिरसा

है यह अपने आप में भयावह है। यह व्यक्ति मारने के इरादे से आया था इसके पास ना कोई कागज था ना कोई मुद्दा.. इसके मोबाइल में घर की रेकी के वीडियो मिले है, यह व्यक्ति सिर्फ हमला करने के उद्देश्य से ही आया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल इन हमलों से कम नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री महोदया जनसुनवाई के लिए पहले से ज्यादा जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी ना रुकने वाली है , ना झुकने वाली है, न डरने वाली हैं। वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है। वह 41 वर्ष का है और राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। इस बीच आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आधिकारिक सूत्रों द्वारा तस्वीर की पुष्टि की गई है।

बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहले कहा था कि मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी (41) के मित्र तहसीन सैयद को पूछताछ के लिए गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया। पुलिस के अनुसार तहसीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक खिमजी ने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो कथित तौर पर तहसीन को भेजा था जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपए भेजे थे। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित हमले से पहले खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि ऑटो रिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर थाने में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं तथा उसके खिलाफ कई बार निवारक कार्रवाई

सकरिया राजेशभाई खिमजी

वरिष्ठ अधिकारी सतीश गोलचा बनाये गये दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त

भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का 26वां आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने एसबीके सिंह का स्थान लिया, जो केवल 21 दिन तक इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइंस स्थित दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान हमला होने के एक दिन बाद गोलचा की पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इस नियुक्ति का मुख्यमंत्री पर हमले से कोई लेना-देना नहीं है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1992 बैच के अधिकारी गोलचा को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया। गोलचा का कार्यकाल अप्रैल 2027 तक है। उन्हें उनके सख्त रुख और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जब वह कानून-व्यवस्था के विशेष पुलिस आयुक्त के तौर पर तैनात थे। गोलचा के पूर्ववर्ती एसबीके सिंह, 1988 बैच के अधिकारी थे। वह संभवत: सबसे कम अवधि तक दिल्ली पुलिस आयुक्त रहे। उन्होंने संजय अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 अगस्त को पदभार संभाला था। सिंह के संक्षिप्त कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की बड़ी घटनाएं हुईं। इनमें हाल में गुप्ता पर हमला और चार अगस्त को उच्च सुरक्षा वाले चाणक्यपुरी इलाके में लोकसभा की एक सदस्य की चैन झपटमारी की घटना शामिल है। गोलचा फिलहाल मंडोली और रोहिणी जेलों के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कानून-व्यवस्था के विशेष आयुक्त और अपराध शाखा के प्रमुख सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। फरवरी 2022 से जून 2023 तक उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में भी सेवाएं दीं। दिल्ली पुलिस में भूमिकाओं से इतर, गोलचा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में उनके कार्यकाल के दौरान भी सराहा गया है। वहां उन्होंने रुचिका छेड़छाड़ मामला, रिजवान-उर- रहमान हत्या मामला और 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले जैसे चर्चित प्रकरणों की जांच की। उन्हें विशेष रूप से 2009 के दक्षिण कश्मीर के शोपियां बलात्कार मामले में झूठे विमर्श को ध्वस्त करने का श्रेय दिया जाता है, जो बाद में पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश साबित हुआ। उधर, सिंह को पुलिस सेवा में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने उपहार अग्निकांड और पोंटी चड्ढा हत्याकांड जैसे बड़े मामलों की जांच की। वह पूर्वोत्तर के दो राज्यों-मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश-में पुलिस बल का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति फरवरी 2026 में निर्धारित है।

भी की गई है। आरोप है कि खिमजी शराब की तस्करी में भी शामिल था। गुजरात मद्यनिषेध अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 2017, 2020 और 2022 में दो बार ये कार्रवाई की गई। खिमजी को 2021 में बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत एक बार निर्वासित भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2017 के एक मामले के तथ्यों के अनुसार, खिमजी ने एक व्यक्ति के सिर पर तलवार से वार किया और कपड़े धोने वाले बैट से भी उसकी पिटाई की थी। 2022 में, अपनी पत्नी से झगड़े के बाद, उसने परिवार के सदस्यों को डराने के लिए ब्लेड से अपने सिर पर वार किया था। तब उसे नौ टांके लगे थे। खिमजी अवैध शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस राजकोट में खिमजी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों समेत 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जो सुराग मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। खिमजी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आवारा कुत्तों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ यहां रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। दूसरी तरफ केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। कुछ दिन पहले ही गुप्ता पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी। सूत्रों ने बताया कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। इस घटना के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की 'वीआईपी' सुरक्षा शाखा को केंद्र के 'जेड' श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए।

बहरहाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उक्त घटना के संबंध में कहा कि 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर हुआ हमला लोगों की सेवा करने के उनके संकल्प को डिगाने का एक 'कायरतापूर्ण प्रयास' है, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा है। हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में

Rekha Gupta @gupta_rekha · 1h
मैं जब कॉलेज में थी, तब पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी। एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई और मुझे दुबारा कार को हाथ लगाने से डर लगने लगा। तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं है। आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती।

आज उनकी वही सीख फिर याद आ रही है। कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्लीवासियों के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूँगी।

वैसे भी, महिलाओं में तकलीफों से लड़ने की दोहरी ताक़त होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। मैं भी तैयार हूँ!

अब जनसुनवाई केवल मेरे घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। आपकी मुख्यमंत्री, आपके द्वार।

"बाधाएं आती हैं आएं,
घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों से हंसते-हंसते,
आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा"

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जन सुनवाई कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प को डिगाने के लिए किया गया एक कायराना प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। गुप्ता ने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। वही 'जनसुनवाई' के दौरान हुए हमले के 2 दिन बाद औपचारिक तौर पर कामकाज फिर शुरू करते हुए गुप्ता ने कहा कि वह कभी न डरेंगी, न ही हारेंगी और राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। रेखा गुप्ता ने यमुना पार इलाके के गांधी नगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष उनका 'अटल संकल्प' है। उन्होंने कहा, आपकी मुख्यमंत्री न तो डरेंगी, न थकेंगी और न ही हारेंगी। मैं आपके साथ तब तक संघर्ष करती रहूंगी जब तक दिल्ली को उसके अधिकार नहीं मिल जाते। यह मेरा अटल संकल्प है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 10-12 वर्ष में दिल्ली पिछड़ गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव बजटीय सहायता का आश्वासन भी दिया और कहा कि इससे एक विकसित दिल्ली के निर्माण में मदद मिलेगी। रेखा गुप्ता ने हमले के दो दिन बाद एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट केंद्र गांधी नगर में 'एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट डीलर्स' की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेकर अपने आधिकारिक कार्यों की फिर से शुरुआत की। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय गईं।

आतिशी ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और कालकाजी से विधायक आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की हत्या के मामले का जिक्र किया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के शासन में राष्ट्रीय राजधानी अपराध, जबरन वसूली और गैंगवार की राजधानी बन गई है। आतिशी के बयान पर भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आतिशी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्लीवासी अब अपने घरों, बाजारों या यहां तक कि पूजा स्थलों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने शुक्रवार की घटना का जिक्र किया, जिसमें 35 वर्षीय सेवादार योगेन्द्र सिंह की एक विवाद के बाद कुछ लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। आतिशी ने कहा कि यह हत्या एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का सबूत है। हिंसा की हालिया घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए आतिशी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि इस महीने की शुरुआत में निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, आईपी एक्सटेंशन में पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास एक युवक को चाकू मार दिया गया था

और जबरन वसूली की मांग के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर गोलीबारी की गई थी। उन्होंने कहा, हाल ही में आप पर भी हमला हुआ। अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? इससे साबित होता है कि कानून-व्यवस्था अपराधियों के नियंत्रण में है और पुलिस लाचार हो गई है। आतिशी ने चार इंजन वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सुरक्षा और विकास को गति देने के बजाय दिल्ली में चारों इंजन जाम हो गए हैं। अगर आप दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के समान राय व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार की आलोचना की उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में सवाल किया, क्या कालकाजी मंदिर में सेवादार की बेरहमी से हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ कांपे? अगर यह कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं है, तो क्या है? भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली को इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है या नहीं?

Madhya Pradesh Horror : Jilted Lover Slits Teen Girl's Throat Inside Narsinghpur Government Hospital in Broad Daylight

In a gruesome act of violence that has left the nation shocked, a 19-year-old schoolgirl was brutally murdered in full public view at the district hospital in Narsinghpur, Madhya Pradesh. The horrific crime took place around 3 PM on Friday when the victim, identified as Sandhya Chaudhary, was reportedly attending a training program prescribed by her school.

According to police officials, Abhishek Koshti, the accused — reportedly obsessed with the girl — suddenly appeared at the hospital, pulled out a knife, and slit her throat in front of doctors, nurses, and several bystanders. Shockingly, no one intervened as the crime unfolded in under two minutes.

Killer Attempts Suicide, Then Flees

Soon after committing the heinous act, the accused attempted to kill himself but failed. He then tried to escape but was apprehended by police later in the day.

Gruesome Murder Captured On Phone

A video of the gruesome murder went viral on social media and was captured by bystanders in the hospital, who did not intervene to stop the crime. In the footage, the man can be seen engaging in a brief conversation with Sandhya, before physically assaulting her and slashing her throat. Superintendent of Police Mrigakhi Deka confirmed the details, stating, "A woman, a class 12 student, was standing at the district hospital when her lover suddenly stabbed her in the neck. She died on the spot. The accused also tried to harm himself and later fled. He has now been arrested."

Relationship Angle Being Probed

Preliminary investigation suggests the accused had been in a relationship with the victim for the past two years. Police have recovered the murder weapon and are currently waiting to record statements from the victim's parents. SP Deka added that CCTV footage from the hospital is being reviewed and multiple eyewitnesses were present during the crime. "We are conducting a detailed investigation. The knife has been seized, and we are yet to take the family's official statement," she said.

Public Shocked by Bystander Inaction

The incident has triggered outrage and disbelief over the apathy shown by onlookers — including hospital staff — who failed to act or call for help during the murder.

Investigation Ongoing

A case of murder has been registered and further investigations are underway. The police have assured that strict legal action will be taken, and all angles — including mental health and premeditated intent — are being explored.

धराली में जिंदगी बचाने की जंग

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग लापता है। इस त्रासदी में हर्षिल स्थित सेना का कैंप भी तबाह हो गया। इसके बाद भी वहां तैनात सैनिकों ने जज्बा दिखाते धराली में जिंदगी बचाने की जंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उत्तराखंड सरकार द्वारा यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) तथा सेना सहित अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर घटनास्थल से 130 से अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि धराली के खीरगढ़ में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद, 14वीं RAJRIF के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन, 150 कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण बचाव और राहत कार्यों में व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। संपर्क टूटने, यूनिट के यूनिट बेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और 11 कर्मियों के लापता होने की आशंका के बावजूद, टीम अटूट दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश और टूटे हुए संपर्क मार्गो ने भी प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के उनके संकल्प को कम नहीं किया है। विपरीत परिस्थितियों में उनका धैर्य भारतीय सेना की सच्ची भावना को दर्शाता है, जो दृढ़, निस्वार्थ और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। इस बीच, बचाव कार्यों में अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। उत्तरकाशी–हर्षिल मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कों को जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ धराली गांव में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में आयी विनाशकारी बाढ़ से यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर कल्प केदार मलबे में दब गया। कतुरे शैली में निर्मित इस शिव मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ धाम की तरह है। ऐसा बताया जाता है कि पिछली बार आई किसी आपदा के कारण यह मंदिर कई वर्षो तक जमीन के नीचे दबा रहा था तथा केवल इसका उपरी हिस्सा ही दिखाई देता था। वर्ष 1945 में की गई एक खुदाई के बाद इस मंदिर के बारे में पता चला था। जमीन के नीचे कई फुट तक खुदाई करने पर एक प्राचीन शिव मंदिर मिला था, जिसकी संरचना केदारनाथ मंदिर की तरह थी। मंदिर जमीन से नीचे स्थित था और भक्तों को मंदिर में प्रार्थना करने के लिए नीचे जाना पड़ता था। प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार केदारनाथ की तरह ही नंदी की पीठ की तरह है। लोगों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर अक्सर खीरगंगा का पानी आता है और इसके लिए एक रास्ता भी बनाया गया है। मंदिर के बाहर पत्थर पर नक्काशी की गई है।

गौरतलब है कि भीषण बाढ़ से तबाह हुए उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जारी बचाव अभियान ने मौसम सुधरने के साथ ही रफ्तार पकड़ी और जिले में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए 270 से अधिक लोगों को वायुसेना के चिनूक और एमआई–17 हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना ने कहा कि 50 से अधिक लोग और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 9 सैन्यकर्मी अब भी लापता हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि लापता लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। अभियान में एनडीआरएफ के 69 बचावकर्मियों, 2 खोजी कुत्तों और पशु–चिकित्सकों की एक टीम भी शामिल हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, बादल फटने से खीरगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ में चार

व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बचाव दलों ने दो शव बरामद किए थे, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये उन्हीं चार व्यक्तियों में से ही किसी के हैं। हेलीकॉप्टरों ने आपदा के बाद निकटवर्ती गांवों और सेना के शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए दिनभर में कई चक्कर लगाए। जीवित लोगों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान में एनडीआरएफ के 69 बचावकर्मियों, 2 खोजी कुत्तों और पशु-चिकित्सकों की एक टीम भी शामिल हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के उप महानिरीक्षक गंभीर सिंह चौहान ने कहा, यह एक बड़ी आपदा है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उत्तरकाशी को जोड़ने वाली सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि हमारी टीम पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कुल 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। सुमन ने बताया कि इन लोगों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, और पंजाब के तीर्थयात्री शामिल हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि हर्षिल, गंगोत्री और झाला से 275 लोगों को मातली हेलीपैड भेजा गया, जहां से उन्हें उनके गंतव्यों को भेजा जा रहा है। बचाए गए एक पर्यटक भूपेंद्र सिंह मेहता ने याद किया कि कैसे भीषण बाढ़ आंखों के सामने सबकुछ बहा ले गई। उन्होंने कहा, जब बाढ़ आई, तब हम सो रहे थे। लोगों की 'भागो-भागो' की आवाज सुनकर हम जागे। हमारे होमस्टे के चारों तरफ सबकुछ बह गया और मलबा दूसरी मंजिल पर हमारे कमरे की खिड़की तक आ गया। हम दूसरी मंजिल से कूद गए और रेंगते हुए एक पुल तक पहुंचकर खुद को बचाया। एक और पर्यटक चंदन ने कहा, हमने 15-20 जगहों पर लोगों को मलबे में दफन होते देखा। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने कहा कि 35 लोगों को उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों से चिनूक हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट हवाई अड्डे लाया गया। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश के कारण खोज और बचाव अभियान में बाधा आ रही है। जिले में कई सड़कें अब भी अनेक स्थानों पर भूस्खलन के मलबे से अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्नत और आधुनिक उपकरणों को वायु मार्ग से धराली तक पहुंचाने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं ताकि मलबे में दबे लोगों की तलाश का काम रफ्तार पकड़ सके। भारतीय सेना ने अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए धराली और निकटवर्ती हर्षिल में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान तेज कर दिया है। अनेक स्थानों पर भूस्खलन और सड़कें टूटने के कारण यह क्षेत्र अब भी अन्य क्षेत्रों से कटा हुआ है।

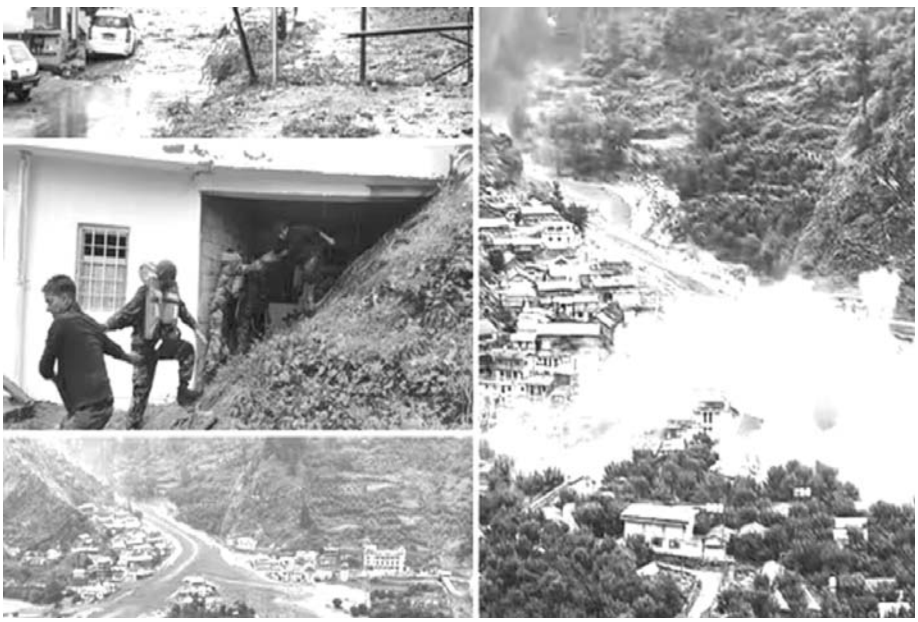

सड़कें अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे उपकरणों को हवाई मार्ग से घटनास्थल पर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आईटीबीपी के माध्यम से एक वीसेट मातली पहुंचा दिया गया है जहां से यह हर्षिल पहुंच जाएगा। इसके चालू होने से क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। यूपीसीएल ने देहरादून हवाई अड्डे से 125 केवीए क्षमता का एक जनरेटर चिनूक के जरिए हर्षिल के लिए भेजा है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में अस्थाई रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। बचाव कार्यों की निगरानी के लिए यहां डेरा डाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके परिजन इस आपदा में लापता हो गए हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, धराली आपदा से प्रभावित बहनों से भेंटकर उनके आंसुओं में छुपा दर्द महसूस किया। इस मुश्किल घड़ी में मैं उनके साहस को नमन करता हूं। उन्होंने कहा, उन्हें भरोसा दिलाया कि हम सभी संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, वहां फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। सेना ने कहा कि नौ सैन्यकर्मियों और तीन लोगों को हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया है। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है जबकि आठ अन्य को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने बताया कि कई स्थानों जैसे भटवाड़ी, लिंचीगाड़, हर्षिल के पास, गंगनानी और धराली में सड़क संपर्क टूटा हुआ है। सैन्य और अन्य टीमें विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों को निकालने, राहत पहुंचाने तथा संपर्क बहाल करने के काम में दिन-रात जुटी हुई हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, हर्षिल और नेलोंग में सैन्य हैलीपैड संचालित है और गंगोत्री तक सड़क से जुड़ा है। धराली का नागरिक हेलीपैड कीचड़ के कारण संचालन की अवस्था में नहीं है। सेना के अनुसार, इंजीनियरों, चिकित्सा दलों और बचाव विशेषज्ञों सहित 225 से ज्यादा बचावकर्मी मौके पर मौजूद हैं। खोजी और बचाव कुत्तों को भी मौके पर तैनात किया गया है। एक रीको रडार टीम टेकला गांव में है और एक अन्य रीको रडार को भी तैनाती में शामिल किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के समन्वय से सहस्त्रधारा से पांच सिविल हेलीकॉप्टर मातली, भटवाड़ी और हर्षिल के बीच बचाव कार्यों के लिए उड़ान भर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र बांकुड़ा का हवाई सर्वेक्षण तथा सैंजी और बुरांसी का स्थलीय निरीक्षण किया और आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से बुरांसी गांव में दो महिलाओं तथा कोटा में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि सैंजी गांव के 15 मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

ट्रंप टैरिफ का संकट

निर्यातकों को कैसे राहत देगी मोदी सरकार

अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने से परेशान निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कई उपायों पर काम कर रही है। इनमें निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत, ऋण लौटाने को लेकर मोहलत और नकदी से जुड़ी मदद शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया ऊंचा शुल्क देश के लिए एक चेतावनी होने के साथ निर्यात में विविधता लाने का एक अवसर भी है। इस संदर्भ में निर्यातकों की तरफ से की गई अपीलों पर उन्होंने कहा कि सरकार निर्यातकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उन्हें राहत देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इसमें रूस से तेल खरीद जारी रखने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। यह फैसला भारत पर दबाव बनाने की अमेरिकी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे मशीनरी, झींगा, वस्त्र, चमड़ा-फुटवियर और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। सरकार अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से जुड़े निर्यातकों के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, ऋण पर एक साल तक की मोहलत और निर्यात भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाने पर विचार कर रही है, ताकि नकदी प्रवाह की समस्या को हल किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ई-कॉमर्स निर्यात हब योजना को भी तेजी से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बता दें कि 2025 से 2031 तक छह वर्षों के लिए लागू करने की योजना है, जिसके तहत करीब 25,000 करोड़ रुपए के समर्थन उपाय प्रस्तावित हैं। यह दो उप-योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन (10,000 करोड़ रुपए से अधिक) और 'निर्यात दिशा' (14,500 करोड़ रुपए से अधिक) के तहत लागू की जाएगी। निर्यातकों का कहना है कि इतने ऊंचे शुल्क पर अमेरिका को निर्यात कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा पूरी तरह अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर निर्यातकों के समक्ष गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इन समस्याओं को लेकर निर्यातकों के निकाय फियो के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अमेरिकी शुल्क वृद्धि से पैदा हुई चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया। फियो के अध्यक्ष एससी रल्हन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल समय में निर्यातकों के साथ खड़ी है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए हरसंभव रास्ता तलाशेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर का था। मौजूदा

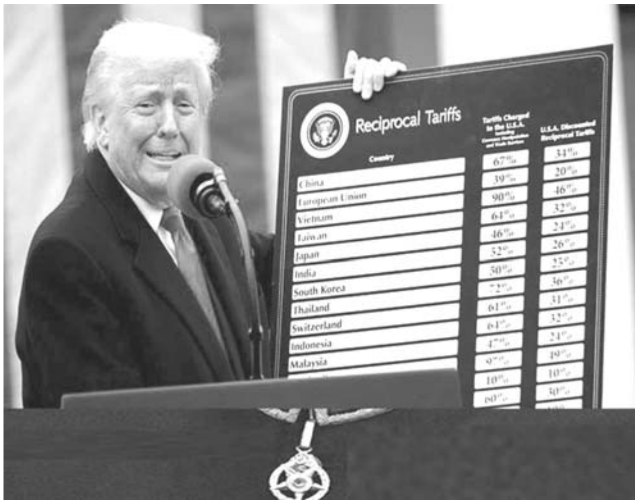

वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64 प्रतिशत बढ़कर 33.53 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से करीब आधा हिस्सा ही 50 प्रतिशत शुल्क के दायरे में आता है। सरकार का मानना है कि यह स्थिति अस्थायी है और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय अब निर्यात में विविधता लाने और नए बाजारों की तलाश पर भी निर्यातकों के साथ व्यापक चर्चा कर रहा है।

विदित हो कि अमेरिका के भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के कारण देश के प्राकृतिक हीरा पॉलिश उद्योग का चालू वित्त वर्ष में राजस्व 28 से 30 प्रतिशत कम होकर 12.50 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रभावी हो गया। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल शुल्क अब 50 प्रतिशत हो गया है। क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में प्राकृतिक हीरा पॉलिश उद्योग का राजस्व लगभग 16 अरब डॉलर था। वही पिछले तीन वित्त वर्षों में प्राकृतिक हीरों की कीमतों और बिक्री की मात्रा में 40 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह झटका आया है, क्योंकि अमेरिका और चीन में मांग कम हो गई है और प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इस हफ्ते से लागू हुए 50 प्रतिशत शुल्क की वजह से अमेरिका को निर्यात करना मुश्किल हो गया है। इसके दो कारण हैं- पहला, हीरा उद्योग का मुनाफा कम होने की वजह से ये अतिरिक्त शुल्क देना बहुत कठिन है और दूसरा, मांग कम होने की वजह से ये शुल्क सीधे ग्राहक पर डालना भी आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके परिणामस्वरूप परिचालन क्षमता कम हो सकती है, जिससे हीरा पॉलिश से जुड़ी इकाइयों के लाभ में 0.5 से एक प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव पड़ेगा।

✯ जानिए क्या है सरकार की सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के नियंत्रण की नीति?

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ता नियंत्रण नीति के मुख्य बिंदु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और सरकारी नियमों के आधार पर तय किए गए हैं, जिनका पालन पूरे भारत में अनिवार्य किया जा रहा है।

❖ **नीति के मुख्य बिंदु :-**

❖ **नसबंदी और टीकाकरण :-** आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और रेबीज टीकाकरण किया जाएगा, फिर उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा।

❖ **रेबीज ग्रसित या आक्रामक कुत्ते :-** जो कुत्ते बीमार या अत्यधिक आक्रामक हों, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा और अलग आश्रय स्थल में रखा जाएगा।

❖ **सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक :-** सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों और सड़क पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोक लगा दी है। सभी नगर निगमों/स्थानीय निकायों को निर्देश है कि हर वार्ड में कुत्तों के लिए अलग फीडिंग स्पॉट बनाए जाएं।

❖ **कानूनी कार्रवाई :-** किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी1

❖ **सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के अधिकारों की रक्षा का कानूनी प्रावधान :-**

☞ आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाने की अनुमती नहीं है।

☞ सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कई कानूनी प्रावधान और हालिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू हैं।

❖ **प्रमुख कानूनी प्रावधान :-**

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 :- इस कानून के तहत आवारा कुत्तों के साथ मारपीट, मारना, भगाना या उनकी जगह बदलना अपराध है। इन्हें क्रूरता से बचाने के लिए यह अधिनियम लागू है।

❖ **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 :-** यह अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है, जिसमें जानवरों की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी शामिल है। इससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि पशु कल्याण और मानवीय सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है।

❖ **पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम :-** कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं छोड़ा जाता है, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। आक्रामक या रेबीज संक्रमित कुत्तों को छोड़ना छूट का विषय है।

❖ **सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम प्रावधान (2025) :-**

☞ सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर पूर्ण पाबंदी है।

☞ नगर निकाय को हर वार्ड में अलग से खाने के स्थान निर्धारित करने होंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

☞ नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही आवारा कुत्तों को रिहा करना अनिवार्य है।

☞ पशु प्रेमियों को कुत्तों को गोद लेने की अनुमति है।

☞ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आवारा कुत्तों को अनावश्यक रूप से हटाया या मारा नहीं जा सकता, जब तक वे खतरनाक न हों।

❖ **नागरिक और कुत्तों के अधिकारों का संतुलन :-**
संविधान की व्यवस्था के अनुसार, राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक या संक्रमित कुत्तों का प्रबंध करे, जबकि सामान्य और स्वस्थ कुत्तों की बुनियादी देखरेख और अधिकार सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आवारा कुत्तों को अनावश्यक रूप से हटाया या मारा नहीं जा सकता, जब तक वे खतरनाक न हों।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

❖ **नागरिक और कुत्तों के अधिकारों का संतुलन :-** संविधान की व्यवस्था के अनुसार, राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक या संक्रमित कुत्तों का प्रबंध करे, जबकि सामान्य और स्वस्थ कुत्तों की बुनियादी देखरेख और अधिकार सुनिश्चित करे। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत में आवारा कुत्तों की रक्षा हेतु सख्त और संतुलित कानूनी व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें मानव और पशु दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है।

✯ बाल्फोर बनाम बाल्फोर कानूनी केस के बारे में बताऐं?

'बाल्फोर बनाम बाल्फोर' (Balfour Vs Balfour, 1919) अनुबंध कानून का एक ऐतिहासिक केस है, जिसमें पति-पत्नी के घरेलू समझौतों की कानूनी वैधता और अनुबंध में विधिक संबंध (legal relations) की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है।

❖ **मामले के मुख्य तथ्य :-** श्री बाल्फोर और उनकी पत्नी श्रीमती बाल्फोर इंग्लैंड में रह रहे थे। बीमारी के कारण पत्नी को इंग्लैंड रुकना पड़ा, पति श्रीलंका चले गए। दोनों में यह समझौता हुआ कि पति पत्नी को प्रतिमाह खर्च के लिए धन भेजेंगे। समय के साथ उनके संबंध बिगड़ गए और पति ने पैसे भेजना बंद कर दिया। पत्नी ने अदालत में दावा किया कि यह एक वैध व बाध्यकारी अनुबंध था और पति को भुगतान करना चाहिए।

❖ **मुख्य मुद्दा :-**

☞ क्या पति और पत्नी के बीच का यह समझौता एक कानूनी अनुबंध (legal Contract) था, जिसपर अदालत जबरन अमल करवा सकती थी?

☞ क्या घरेलू या पारिवारिक समझौतों में पक्षकारों का कानूनी दायित्व (intention to create legal relations) होता है?

❖ **न्यायालय का फैसला :-** निचली अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अपील कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि पति-पत्नी, अभिभावक-पुत्र जैसे घरेलू संबंधों में किए गए समझौते सामान्यतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, जब तक स्पष्ट रूप से विपरीत इरादा न हो। इस प्रकार के घरेलू वादे social agreements माने जाते हैं, न कि enforceable contracts स्थापित सिद्धांत घरेलू समझौतों की presumption रहती है कि पक्षकारों का कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा नहीं है। अनुबंध बनने के लिए "intention to create legal relationship" अनिवार्य है, जो घरेलू मामलों में आमतौर पर नहीं माना जाता।

❖ **महत्व :-** यह केस कानून विद्यार्थियों और न्यायिक परीक्षाओं के लिए अनुबंध और कानूनी दायित्व की व्याख्या का आधार है।

सारांश में, 'बाल्फोर बनाम बाल्फोर' केस ने स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मल घरेलू समझौते कानून की नजर में बाध्यकारी अनुबंध नहीं होते जब तक दोनों पक्षों का कानूनी संबंध स्थापित करने का स्पष्ट इरादा न हो।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक उतीर्ण	स्नात्तक/इंटर	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करें:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. · Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008